दुनियाभर में सिग्नल ऐप की डाउनलोडिंग बढ़ी

वेब वॉट्सऐप पर यूजर्स के मोबाइल नंबर हो रहे लीक

एजेंसी ● नई दिल्ली
editor@peoplessamachar.co.in

नई प्राइवेसी पॉलिसी वॉट्सऐप मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब इसको लेकर एक और विवाद सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि यूजर्स के मोबाइल नंबर वेब वॉट्सऐप के जरिए लीक होने की रिपोर्ट आ रही है। इसके मुताबिक गूगल सर्च के दौरान यूजर के नंबर दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजहरिया ने सोशल मीडिया पर वॉट्सऐप की इस लापरवाही को शेयर किया है। उन्होंने गूगल सर्च के 2 स्क्रीन शॉट शेयर किए हैं, जिनमें यूजर्स के मोबाइल नंबर साफ नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया, वॉट्सऐस अपने डेस्कटॉप या वेब वर्जन की गूगल पर निगरानी ही नहीं रख पा रहा।

वेब वॉट्सऐप से लीक हो रहा उपभोक्ता का पर्सनल डाटा

राजहरिया ने बताया, यूजर्स का डाटा वेब वॉट्सऐप के जरिए लीक हो रहा है। अगर कोई यूजर ऑफिस के लैपटॉप या डेस्कटॉप पर वॉट्सऐप यूज कर रहा है, तो उसके मोबाइल नंबर गूगल सर्च पर आ रहे हैं। ये सभी नंबर पर्सनल यूजर्स के हैं न कि बिजनेस यूजर्स के नंबर। इसी हफ्ते राजहरिया ने गूगल पर वॉट्सऐप ग्रुप चैट इनवाइट के इंडेक्सिंग की जानकारी दी थी। तब सर्च रिजल्ट्स में करीब 1,500 से ज्यादा ग्रुप इनवाइट लिंक मौजूद थे। गूगल की तरफ से इंडेक्स की गईं कुछ लिंक पोर्न शेयर करने वाले वॉट्सऐप ग्रुप को लीड करती हैं।

नई पॉलिसी में ये समस्याएं

- वेब वॉट्सऐप से उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर लीक हो रहे हैं।
- गूगल सर्च में उपभोक्ताओं के पर्सनल नंबर दिखाई दे रहे हैं।
- 3 दिन पहले ग्रुप चैट लिंक लीक हुए थे।

नई पॉलिसी के खिलाफ याचिका

वॉट्सऐप की नई पॉलिसी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। एडवोकेट चैतन्य रोहिल्ला ने इसके खिलाफ लगाई गई अर्जी में कहा, वॉट्सऐप की नई पॉलिसी भारत के लोगों के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। यूजर का डाटा शेयर करना गैरकानूनी है। अर्जी में कहा गया, लोगों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी और यह सब सरकार की निगरानी के बिना होगा। इसलिए वॉट्सऐप की पॉलिसी पर तुरंत रोक लगाई जाए।

क्या है नई प्राइवेसी पॉलिसी?

वॉट्सऐप यूजर जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं, कंपनी उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकती है। उस डाटा को शेयर भी कर सकती है। यह पॉलिसी 8 फरवरी 2021 से लागू होगी। पहले कहा गया था, अगर यूजर्स इस पॉलिसी को नहीं मानता है, तो 8 फरवरी के बाद वह अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हालांकि बाद में कंपनी ने इसे ऑप्शनल बताया था।

सिग्नल ऐप और टेलिग्राम ऐप डाउनलोड कर रहे भारतीय

वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आने से सिग्नल ऐप की डाउनलोडिंग 4,200 प्रतिशत बढ़ गई है। आंकड़े बताते हैं कि 24 घंटे के अंदर दुनिया के विभिन्न देशों में 2.5 करोड़ लोगों ने वाट्सऐप को छोड़ दिया। अब तक 1.2 मिलियन भारतीयों ने सिग्नल ऐप, और 1.7 मिलियन ने टेलिग्राम ऐप डाउनलोड किया।

इधर, गूगल ने किया फिटबिट का अधिग्रहण, यूजर्स को डर – फिटनेस डाटा होंगे लीक

सान रेमन। गूगल ने फिटनेस उपकरण बनाने वाली कंपनी फिटबिट का 2.1 अरब डॉलर का अधिग्रहण गुरुवार को पूरा कर लिया। हालांकि यह सौदा ऐसे समय पूरा हुआ है, जब अमेरिका के प्रतिस्पर्धारोधी नियामक गूगल के पर कतरने के उपायों पर काम कर रहे हैं। गूगल अधिकांश आय विज्ञापनों के जरिए होती है। कंपनी अपने अरबों उपयोक्ताओं की दिलचस्पी व उनकी स्थिति आदि जैसी जानकारियों का इस्तेमाल कर विज्ञापन बेचती है। निजता व गोपनीयता का संरक्षण करने वाले नियामकों को डर है कि गूगल लोगों के जीवन में और गहरे तक घुसपैठ करने के लिए फिटबिट का इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि गूगल ने दावा किया है कि वह फिटबिट के 2.9 करोड़ यूजर्स के फिटनेस संबंधी डेटा का इस्तेमाल विज्ञापन बेचने में नहीं करेगी। गूगल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिक ओस्टरलो ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा– यह सौदा डाटा के लिए नहीं, बल्कि डिवाइस के लिए है। हम इस बात पर शुरुआत से ही स्पष्ट रहे हैं कि हम फिटबिट के यूजरों की निजता का बचाव करेंगे।

Badri Gautam

वॉट्सएप के खिलाफ कार्रवाई नहीं तो कोर्ट जाएंगे व्यापारी

कारोबारियों ने नई निजता नीति के खिलाफ हल्ला बोला

नई दिल्ली। कारोबारियों ने एक बार फिर मैसेजिंग एप वॉट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। उनके संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट फिर केंद्रीय आईटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद को पत्र भेजकर वॉट्सएप, फेसबुक व इंस्टाग्राम पर कार्रवाई करने की मांग की है। उसका आरोप है कि यह निजता के गंभीर उल्लंघन और भारत के 40 करोड़ से अधिक यूजर्स के विश्वास को खंडित करने का बड़ा अपराध है और इस पर तुरंत कार्रवाई जरूरी है।

कैट ने कहा की कैट की शिकायतों के जवाब में वॉट्सएप ने मीडिया में विज्ञापन देकर इस मामले पर सफाई देने की कोशिश की है जो आधारहीन है। इसमें कैट द्वारा उठाए गए तथ्यों के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। इससे साफ है कि दाल में कुछ काला अवश्य है। उसकी मांग है कि केंद्र सरकार वॉट्सएप को नई नीति को आठ फरवरी से लागू न करने का निर्देश दे। साथ ही देश में इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तत्काल गहन तकनीकी ऑडिट कराई जाए। इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का स्वामित्व एक कंपनी के पास है। यह देखा जाना जरूरी है की इन तीनों के बीच किस प्रकार डेटा अब तक साझा किया गया है और उसका क्या उपयोग हुआ है।

कारोबारियों की संस्था ने यह भी मांग की है कि अब तक इन प्लेटफॉर्म्स ने जो डेटा देश के नागरिकों से लिया है वो भारत में ही सुरक्षित है या फिर किसी अन्य देश में चला गया है? यह भी जांच में देखा जाए। डेटा पूरे देश की सुरक्षा, गोपनीयता, स्वतंत्रता और अखंडता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो कैट अदालत का दरवाजा खटखटाएगा।

Badri Gautam

वॉट्सएप का वेब वर्जन भी नहीं सुरक्षित

नई दिल्ली। नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर निशाने पर आए वॉट्सएप को लेकर एक और विवाद सामने आया है। अब यूजर्स के मोबाइल नंबर वॉट्सऐप वेब के जरिए लीक होने की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक गूगल सर्च के दौरान यूजर के नंबर दिखाई दे रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजहरिया ने सोशल मीडिया पर वॉट्सएप की लापरवाही को शेयर किया है। उन्होंने गूगल सर्च के दो स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिनमें यूजर्स के मोबाइल नंबर साफ नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा, वॉट्सएप अपने डेस्कटॉप या वेब वर्जन की गूगल पर निगरानी ही नहीं रख पा रहा। राजहरिया ने बताया कि यूजर्स का डेटा वेब वॉट्सएप के जरिए लीक हो रहा है। कोई यूजर ऑफिस के लैपटॉप या डेस्कटॉप पर वॉट्सएप यूज कर रहा है, तो उसके मोबाइल नंबर गूगल सर्च पर आ रहे हैं। ये सभी नंबर पर्सनल यूजर्स के हैं। बिजसेस यूजर्स के नंबर इनमें शामिल नहीं हैं। इसी हफ्ते राजहरिया ने गूगल पर वॉट्सएप ग्रुप चैट इनवाइट के इंडेक्सिंग की जानकारी दी थी। तब सर्च रिजल्ट्स में करीब 1500 से ज्यादा ग्रुप इनवाइट लिंक मौजूद थे। गूगल की तरफ से इंडेक्स की गई कुछ लिंक पोर्न शेयर करने वाले वॉट्सएप ग्रुप को लीड करती हैं।

जबरन यूजर्स की सहमति प्राप्त कर रहा वॉट्सएप

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने इस मुद्दे पर वॉट्सएप की कड़ी आलोचना करते हुए कहा की देश के लोगों के अधिक से अधिक डेटा प्राप्त करने की मंशा में वॉट्सएप आठ फरवरी से अपनी नई गोपनीयता नीति लॉन्च करने के लिए तैयार है। वह जबरन यूजर्स की सहमति प्राप्त कर रहा है जो असंवैधानिक है, कानून का उल्लंघन है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। कारोबारियों की संस्था ने इससे पहले भी 10 जनवरी को सरकार को इस बारे में पत्र लिखा था। अब बारा अपने पत्र में कैट ने आरोप लगाया है कि वॉट्सऐप देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का खुला अतिक्रमण कर रहा है। अपनी नई उपयोगकर्ता नीति को अपडेट करके, वॉट्सएप ने न केवल किसी व्यक्तिकी निजता के अधिकार के बुनियादी सिद्धांतों को चुनौती दी है, बल्कि इसने प्रत्येक नागरिक को बेईमान डिजिटल कंपनियों की झूठी, बेईमानी और चकाचौंध से भरी दुनिया का आदी बना दिया है जिसके कारण लोगों की निजी जिंदगी में भी वॉट्सऐप बड़े पैमाने पर घुस गया है। उसकी नई नीति स्वतंत्रता एवं जीवन के मौलिक अधिकार के साथ-साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी एक कुठाराघात है।

वाट्सऐप केसः दिल्ली हाईकोर्ट की जज ने खुद को सुनवाई से किया अलग

नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली हाई कोर्ट की एक न्यायाधीश ने वाट्सऐप की निजता संबंधी नई नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को खुद को अलग कर लिया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने फेसबुक या वाट्सऐप की तरफ से भेजे गए एक ई-मेल पर नाखुशी जताई, जिसमें कहा गया था कि उन्हें मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के ई-मेल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह मामले में सुनवाई नहीं करने जा रही हैं।

Badri Gautam

फेसबुक तथा वाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल तथा मुकुल रोहतगी ने कहा कि ई-मेल को बिना शर्त वापस लिया जा रहा है, लेकिन न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि वे मामले पर सुनवाई नहीं कर सकतीं और उन्होंने कोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि इसे मुख्य न्यायाधीश के आदेश से 18 जनवरी को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें। उन्होंने कहा कि मामला जनहित याचिका की प्रकृति का प्रतीत होता है।

कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता निकालने बनाई समिति की रिपोर्ट तैयार

शनिवार या सोमवार को मुख्यमंत्री को सौंपी जा सकती है रिपोर्ट

शहर प्रतिनिधि, भोपाल

प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता निकालने बनाई समिति ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। समिति शनिवार या सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रिपोर्ट सौंप सकती है। प्रदेश में करीब साढ़े चार साल से पदोन्नति पर रोक लगी है। पदोन्नति की मांग को देखते हुए सरकार ने प्रशासन अकादमी के महानिदेशक एपी श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समिति गठित की है। समिति प्रदेश में पदोन्नति पर रोक के कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर कर्मचारियों को उच्च पदों का प्रभार देने की नीति तैयार की है। समिति में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन सदस्य सचिव है। जबकि अपर मुख्य सचिव जल संसाधन, गृह एवं जेल, प्रमुख सचिव राजस्व व लोक सेवा प्रबंधन और विधि एवं विधायी कार्य विभाग सदस्य हैं। पदोन्नति का विकल्प तलाशने के लिए बनाई समिति की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। समिति शनिवार या सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अनुशंसाएं सौंपेगी।

पदनाम देने से सरकार पर नहीं आएगा आर्थिक बोझ

अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमोशन न मिलने की स्थिति में उच्च पद का प्रभार देकर पदनाम दिए जाने से सरकार पर आर्थिक बोझ नहीं आएगा। इसकी वजह कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ मिलने से पहले ही उच्च पदों का वेतनमान मिल रहा है।

Badri Gautam

उच्च पद भार नीति में शिक्षक संवर्ग को शामिल करेगी समिति

भोपाल। प्रदेश में सरकारी लोक सेवकों को पदोन्नति की जगह पदनाम देने के लिए गठित उच्च पदभार समिति में शिक्षकों को भी न्याय मिलेगा। सरकार समर्थित शिक्षक संघ को इस कमेटी के सदस्य और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों ने इस प्रकार का दृढ़ विश्वास दिलाया है। शिक्षक संघ के महामंत्री छात्रवृत्ति सिंह राठौड़ ने बताया कि अपर मुख्य सचिव एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सामान्य प्रशासन एवं उच्च पदभार नीति समिति के सचिव विनोद कुमार ने गुरुवार को मंत्रालय में मुलाकात के दौरान आश्वासन दिया कि उच्च पद भार नीति में हम शिक्षक संवर्ग को सम्मिलित करेंगे। उन्होंने बताया कि लगातार तीन दिनों के कठिन परिश्रम के बाद मंत्रालय में 3 दिन पहले सीएम के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी से मिलकर पदनाम की बहुप्रतीक्षित मांग के संबंध में विस्तृत चर्चा करके ज्ञापन सौंपा गया था। उसके अगले ही दिन प्रशासन अकादमी के महानिदेशक एपी श्रीवास्तव से मुलाकात की गई। वे उच्च पदभार समिति के अध्यक्ष हैं। उनसे मिलकर पत्र सौंपकर अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय में इस समिति के सचिव विनोद कुमार से मिले और समस्या बताएं फिर तत्काल मंत्रालय पहुंच कर सामान्य प्रशासन विभाग में अधिकारियों से चर्चा की गई। उन्हें गत 15 वर्षों की लंबित मांग सहायक शिक्षक, शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति पदनाम के बारे में अवगत करवाया ज्ञापन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा हम शिक्षक संवर्ग को सम्मिलित करेंगे। प्रतिनिधिमंडल को बताया गया कि मुझे पीएस सीएम से भी कहा गया है शिक्षक साथियों विश्वास करो। मप्र शिक्षक संघ के प्रयासों से सफलता मिल सकती है। इस दौरान छतरी सिंह राठौर ने अपने साथियों से कहा कि हमें कर्म पर भरोसा है। परिणाम परमात्मा को देना है।

सरकार समर्थित शिक्षक संघ के महामंत्री राठौर को दिया अफसरों ने भरोसा

Badri Gautam

जल संसाधन अभियंता से मिले इंजीनियर

भोपाल। मप्र डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल से मिला। उनको विभागीय समस्याओं के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। जिसमें प्रमुख रुप से बीस एवं अट्ठाइस बर्ष बाद समयमान वेतनमान समय पर स्वीकृत करने के लिए आग्रह किया गया। इसके अलावा अन्य समस्याओं को लेकर उनसे चर्चा की गई। संगठन में जल संसाधन समिति अध्यक्ष जीपी पाठक ने बताया कि सभी मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई एवं त्वरित हल करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल में इं जे पी पटेल महामंत्री ए पी सिंह वित्त मंत्री सम्मिलित थे।

सुविधा : अब एनपीएस से 5 दिन में खाते में आएंगे पैसे

नई दिल्ली | पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) से आंशिक निकासी के नियमों को आसान कर दिया है। बदले हुए नियम के मुताबिक, एनपीएस सब्सक्राइबर अब सेल्फ डिक्लेरेशन के जरिए इस फंड से आंशिक निकासी कर सकते हैं। यह रकम महज 5 कामकाजी दिन में बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। नियम के अनुसार, एनपीएस में तीन साल तक जमा करने बाद ही सब्सक्राइबर आंशिक निकासी करने के पात्र होते हैं। उन्होंने जितना अंशदान किया है, उसमें से अधिकतम 25 फीसदी रकम ही निकाली जा सकती है। मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर किसी सब्सक्राइबर को इस फंड से आंशिक निकासी करनी है तो उसे पहले संबंधित नोडल ऑफिस में आवेदन करना होता था।

Badri Gautam

ईपीएफओ पेंशन पर 18 को 'सुप्रीम' फैसला

नई दिल्ली। देश के लाखों कर्मियों और पेंशनभोगियों के लिए जरूरी खबर है। ईपीएफओ पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सोमवार को सामने आने वाला है। पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि वेतन के अनुसार पेंशन के लिए उनका लंबा इंतजार इस फैसले के बाद समाप्त होगा।

Badri Gautam

अब ड्राइविंग स्कूलों में ट्रेनिंग के साथ लाइसेंस भी मिलेंगे

विभाग का प्रस्ताव तैयार, हरी झंडी मिलते ही प्रदेश में लागू होगी व्यवस्था

भास्कर ब्यूरो | भोपाल

प्रदेश में ड्राइविंग स्कूल वाहन की ट्रेनिंग के साथ ही लायसेंस भी बना कर देंगे। परिवहन विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। पहले जिलों में पीपीपी मोड पर ड्राइविंग स्कूल खोलने जाने की योजना थी लेकिन अब इस स्कूलों को लाइसेंसी जारी करने का अधिकार भी देने की तैयारी की जा रही है। विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और भारत सरकार को अप्रूवल के लिए भेजा गया है। वहां से स्वीकृति मिलते ही मुख्यमंत्री की अनुमति ली जायेगी। हरी झंडी मिलते ही प्रदेश में यह व्यवस्था लागू कर दी जायेगी। इधर विभागीय सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है, अब केवल केंद्र सरकार की स्वीकृति का इंतजार है।

शिवराज की योजना का नाथ सरकार में बना था प्रस्ताव

2018 के पूर्व शिवराज सिंह चौहान की सरकार में इस इस व्यवस्था को लेकर योजना बनाने का विचार किया गया था। बाद में अस्तित्व में आई कमलनाथ सरकार ने इसका प्रस्ताव तैयार किया था। हालांकि नाथ सरकार को गिराकर शिवराज सरकार एक बार फिर अस्तित्व में आई है ऐसे में परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को अपडेट कर लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। यहां बता दें कि कमलनाथ और शिवराज दोनों के ही मुख्यमंत्री कार्यकाल में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत रहें है।

Badri Gautam

दो एकड़ जमीन पर दो करोड़ का होगा प्रोजेक्ट

ड्राइविंग स्कूल का प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए दो एकड़ जमीन की आनिवार्यता रखी गई है। लगभग दो करोड़ के इस प्रोजेक्ट में सरकार द्वारा 50 प्रतिशत सब्सीडी दी जायेगी। ऐसे में इंवेस्टर को केवल एक करोड़ की लागत लगानी होगी, शेष एक करोड़ की सरकार द्वारा सब्सीडी मिलेगी। यह प्रोजेक्ट प्रदेश के किसी भी जिले में लगाया जा सकेगा।

ड्राइविंग स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में एक नई व्यवस्था एड की गई है। ड्राइविंग स्कूलों को अब लायसेंसी जारी करने का अधिकार भी देने का प्रावधान किया जाना है। स्वीकृति मिलते ही व्यवस्था लागू की जायेगी। इस प्रोजेक्ट पर 50 प्रतिशत सब्सीडी भी देने का प्रावधान है।

एसएन मिश्रा, अपर मुख्य सचिव, मप्र परिवहन

पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चुनौती, हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया

युगलपीठ में याचिका की अगली सुनवाई 21 फरवरी को

कार्यालय संवाददाता | जबलपुर

Badri Gautam

मप्र हाईकोर्ट में एमपी पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब माँगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 फरवरी को नियत की गई है।

यह याचिका सामाजिक संगठन अपाक्स, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि नियमानुसार अधिक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में ट्रांसफर करने का प्रावधान है, लेकिन पीएससी ने आरक्षित वर्ग में आने वाले अभ्यर्थियों के मेरिट में अंक अधिक होने के बाद भी उन्हें उनके ही वर्ग में रखा गया है। इसकी वजह से अनारक्षित और ओबीसी की कट ऑफ मार्क्स 146-146 है। याचिका में कहा गया है कि सिविल सेवा नियम 2015 में किए गए संशोधन को 17 फरवरी 2019 से भूतलक्षीय प्रभाव से लागू किए जाने को भी चुनौती दी गई है। याचिका में लोक सेवा आरक्षण नियम 1994 की धारा 4 की उपधारा (4) को भी चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि आरक्षण का लाभ अंतिम चयन के समय दिया जाएगा। अधिवक्ता रामेश्वर पी. सिंह और विनायक शाह ने तर्क दिया कि संशोधित नियमों को भूतलक्षीय प्रभाव से लागू कर पीएससी ने 45 हजार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इसको देखते हुए पीएससी की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार से जवाब माँगा है। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेन्द्र यादव ने पक्ष प्रस्तुत किया। पी-4

गणवेश के लिए छात्रों को करना होगा 1 माह इंतजार

निगरानी के लिए गठित किए गए दल

भास्कर न्यूज | सतना

स्कूल शिक्षा विभाग की अति महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक निःशुल्क गणवेश वितरण योजना के तहत अभी तक छात्रों को गणवेश का वितरित नहीं की जा सका है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में पढ़ाई कर रहे छात्रों को फरवरी के अंत तक राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन द्वारा तैयार किए जा रहे गणवेश वितरित किए जा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि शासन के आदेशानुशार इस बार गणवेश बनाने की जिम्मेदारी राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन में पंजीकृत स्व-सहायता समूह को दी गई है। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा गणवेश तैयार करने के लिए 80 प्रतिशत राशि आवंटित भी कर दी गई है।

राशि मिलने के बाद जिले के सभी स्व-सहायता समूहों द्वारा गणवेश बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह गणवेश जिला पंचायत सीईओ द्वारा गठित टीम की निगरानी में कराया जा रहा है।

जिले में ऐसे 1 लाख 78 हजार विद्यार्थी

जिले के प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अध्ययनरत 1 लाख 78 हजार छात्रों को गणवेश का वितरण किया जाना है। प्रत्येक छात्र को दो सेट ड्रेस दी जानी है। बताया गया कि प्रति छात्र 6 सौ रूपए के मान से राशि राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन को दी गई है। फिलहाल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को 80 प्रतिशत राशि 85 लाख रूपए दे दी गई है। बताया गया कि पहले ही शिक्षा समिति द्वारा ड्रेस के कलर का निर्धारण कर दिया गया है।

Badri Gautam

होनी चाहिए टेस्टिंग

स्व-सहायता समूह द्वारा बनाई जा रहे गणवेश के नमूने की टेस्टिंग नियमानुसार बुरहानपुर स्थित लैब में होनी चाहिए। विभाग से जुड़े जानकार बताते हैं कि समूहों द्वारा गणवेश बनाने का काम तो प्रारंभ कर दिया गया है, मगर किसी ने भी बुरहानपुर स्थित लैब में टेस्टिंग नहीं कराई गई है। जबकि सीईओ द्वारा गठित समिति में एनआरएलएम के क्षेत्रीय अधिकारी, बीआरसीसी, संकुल प्राचार्य एवं शाला प्रबंध समिति के सदस्यों को शामिल किया गया है।

लोकशिक्षण संचालनालय ने ज्ञानपुंज दल पर लगाया बेन

● सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करते थे दल के सदस्य

रीवा(नवस्वदेश)। जिले भर में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यालय खुल गए जहां पर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां शुरू है। ऐसे में ज्ञानपुंज दल की महत्ता और बढ़ जाती है, लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआइ) भोपाल द्वारा आदेश जारी करते हुये ज्ञान पुंज दल पर बेन लगा दिया। ऐसी स्थिति में जिलाशिक्षा अधिकारी दल के शिक्षकों को हुये पदांकित संस्थाओं के लिए कार्यमुक्त किया जा रहा है। जानकारी अनुसार जिले के ज्ञान पुंज दल में करीब 7 विषय विशेषज्ञ सदस्य रहे, जिनमें कुछ रिटायर हो गये थे जो बचे उन्हे स्कूल वापस कर दिया गया। जिन्हे जिले भर की स्कूलों में दौरा कर स्कूलों में रिक्त पीरियड पर क्लास लेकर पढ़ाना था। जानकारी अनुसार कोविड-19 संक्रमण के संकट के समय जब स्कूल पूरी तरह बंद थे और छात्र क्लास से वंचित रहे, ऐसे में ज्ञानपुंज दल द्वारा ऑनलाइन शिक्षण को प्रोत्साहित किया गया था। शिक्षक संगठनों का मानना है कि डीपीआइ द्वारा अचानक जारी इस फरमान का औचित्य समझ से परे है। ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से ज्ञानपुंज दल योजना की शुरुआत की गई थी। प्रत्येक जिले के ज्ञानपुंज दल में शामिल विषय विशेषज्ञ शिक्षक ग्रामीण अंचलों के विद्यालयों में पहुंचकर अध्यापन कार्य कराते थे एवं छात्रों से चर्चा कर उनकी विषय संबंधी कठिनाइयों का मौके पर ही निराकरण करते थे। शासन के निर्देशानुसार अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में गणित, अंग्रेजी, विज्ञान विषय के अतिथि शिक्षक उपलब्ध ही नहीं हो पाए। ऐसे में ज्ञानपुंज दल के सदस्य इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को पढ़ाते रहे।

Badri Gautam

ज्ञानपुंज दल का रहा विशेष महत्व

ज्ञानपुंज दल के सदस्यों ने बताया कि जब वह सुदूर ग्रामीण अंचलों के विद्यालयों में पहुंचते थे तो कई जगए ऐसी भी मिलीं, जहां एक भी शिक्षक उपलब्ध नहीं होता था। ऐसे में ज्ञानपुंज दल सभी विषयों की पढाई कराते थे। जब अभिभावकों से संपर्क कर चर्चा की गई तो उन्होंने विद्यालय खुले होने की जानकारी से अनभिज्ञता जाहिर की। वहीं जब ज्ञानपुंज दल ने उन्हें सहमति देकर अपने बच्चों को विद्यालय भेजने की बात कही तो उन्होंने अपने बच्चों को विधालय भेजा। जिन विद्यालयों में शिक्षकों की अत्यंत कमी है, वहां ज्ञानपुंज दल की आवश्यकता एवं सार्थकता बहुत अधिक है।

डीपीआई के आदेश से जिले के ज्ञानपुंज दल सदस्यों को संबंधित स्कूलों से कार्यमुक्त कर दिया गया है, जिन्हे अब अन्य स्कूलों की वजाय अपनी स्कूलों की शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ाना होगा।

आरएन पटेल
जिलाशिक्षा अधिकारी, रीवा।

प्रतिभा पर्व 20 से, दस दिन के लिए छात्रों को मिलेगी उत्तरपुस्तिका

अशोकनगर। प्रतिभा पर्व 20 जनवरी से प्रारंभ होगा जो 30 जनवरी तक मनाया जाएगा। बच्चों की शैक्षणिक दक्षता जानने के लिए आयोजित होने वाले प्रतिभा पर्व में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे भाग लेंगे। छहमाही परीक्षा के तौर पर प्रतिभा पर्व आयोजित किया जा रहा है इसमें वर्कशीट का सहारा लिया जाएगा। प्रतिभा पर्व में कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए लिखित परीक्षा होगी। हालांकि इसके लिए बच्चों को परीक्षा देने के लिए स्कूल नहीं आना होगा बल्कि उन्हें स्कूल से उत्तरपुस्तिका दी जाएगी। इसमें प्रश्न लिखे होंगे जिनके नीचे उत्तर लिखने के लिए भी जगह होगी। छह विषयों की एक ही उत्तरपुस्तिका बच्चों को दी जाएगी जिसे वह दस दिनों तक अपने पास रख सकते हैं और इसमें उत्तर लिखकर बाद में अपने-अपने स्कूल में जमा करेंगे। एपीसी बलवीर सिंह बुंदेला ने बताया कि जिले में 1 से 8 तक के करीब 85 हजार छात्र-छात्राएं हैं। कक्षा 1 और 2 के बच्चों की लिखित परीक्षा नहीं होगी जबकि 3 से 8 तक के लिए प्रतिभा पर्व के दौरान लिखित परीक्षा आयोजित होनी है। सभी संकुलों पर प्रश्नयुक्त उत्तरपुस्तिकाएं भेज दी गई हैं। उन्होंने बताया कि उत्तरपुस्तिका में कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी दिए गए हैं। प्रतिभा पर्व पर जो वर्कशीट दी जा रही है उसका मूल्यांकन बीस अंकों के आधार पर किया जाएगा जबकि फरवरी और मार्च में भी वार्षिक मूल्यांकन भी वर्कशीट के आधार पर ही होगा। वार्षिक मूल्यांकन की तिथि 15 से 28 फरवरी एवं 10 से 20 मार्च निश्चित की गई है। फरवरी और मार्च में एक-एक वर्कशीट इस तरह कुल दो वर्कशीट बच्चों को पूरी करके जमा करानी होंगी। बच्चे वर्कशीट घर पर ही लिखेंगे इसमें करीब 60 प्रतिशत लिखितकार एवं 40 प्रतिशत प्रोजेक्ट वर्क होगा।

Badri Gautam

एंकर स्टोरी

एमपी की व्यवस्थाओं से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग खुश नहीं

सत्रह फीसदी बाल कल्याण संस्थानों में टायलेट और बाथरूम तक नहीं

आयोग ने निरीक्षण के बाद सरकार को भेजी रिपोर्ट में जताई नाराजगी, प्रदेश को खुले में शौच मुक्त होने का दावा कर चुकी राज्य सरकार

Badri Gautam

नगर प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने का ऐलान कर चुकी राज्य सरकार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने तगड़ा झटका दिया है। ऐसा इसलिए कि प्रदेश के सत्रह फीसदी बाल कल्याण संस्थानों में टायलेट और बाथरूम की सुविधा तक नहीं है। राज्य सरकार की व्यवस्थाओं से भी आयोग खुश नहीं है। आयोग ने निरीक्षण के बाद राज्य सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में नाराजगी जताई है।

यह रिपोर्ट राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने भेजी है। कानूनगो कुछ दिनों पहले बाल कल्याण संस्थानों का निरीक्षण करने के लिए मध्यप्रदेश के दौरे पर आए थे। बाल कल्याण संस्थानों में बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों से लेकर उनके शारीरिक और मानसिक विकास के तमाम जतन किए जाते हैं। सारी व्यवस्थाएं केंद्र सरकार के जेजे माडल एक्ट-2016 के अनुसार मुहैया कराई जाती हैं। निरीक्षण के बाद कानूनगो ने रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। उनकी रिपोर्ट ने राज्य सरकार के इंतजामों और दावों की पोल खोल दी है। दरअसल प्रदेश में 115 बाल कल्याण संस्थान

(फाइल फोटो)

संचालित किए जा रहे हैं। इनमें से 20 संस्थान ऐसे हैं, जहां पर टायलेट नहीं है। बाइस संस्थानों में बाथरूम नहीं हैं।

यह स्थिति तब है, जब सरकार मध्यप्रदेश को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) करने का ऐलान कर चुकी है। ओडीएफ घोषित होने के बावजूद सरकारी संस्थानों में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। इसको लेकर आयोग ने नाराजगी जाहिर की है। यह सवाल भी उठाया गया है कि मूलभूत सुविधाओं के बिना संचालित होने वाली संस्थानों को मान्यता क्यों दी गई? कानूनगो ने मौजूदा कमियों को जल्दी दूर करने की नसीहत भी सरकार को दी है। टायलेट का नहीं होना भी बेहद गंभीर मुद्दा है। ऐसा इसलिए कि एक टायलेट सात बच्चों के उपयोग के हिसाब से बनाया जाता है। वर्तमान में बीस संस्थानों में टायलेट नहीं है। कुछ ऐसे संस्थान भी हैं, जहां पर टायलेट की संख्या कम है। ऐसे में सरकारी दावे को आसानी से समझा जा सकता है। यह अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि कितने बच्चे परेशान हैं।

बच्चों के संरक्षण के लिए समिति भी नहीं बनाई गई:

दूसरा बड़ा मुद्दा बच्चों को संरक्षण देने वाली समिति का है। नियमानुसार हर संस्थान में एक समिति बनाई जानी चाहिए। समिति के सदस्य साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और त्रैमासिक संस्थानों का निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान मिलने वाली कमियों को दूर करने के प्रयास किए जाएं। बहरहाल 49 संस्थान ऐसे हैं, जहां पर समिति का गठन नहीं किया गया है। बीस फीसदी संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से इसे सबसे अहम माना गया है। तकरीबन 33 फीसदी संस्थान ऐसे हैं, जहां पर (1098) हट लाइन की सुविधा नहीं है।

पच्चीस फीसदी संस्थानों में खाने का मीनू चार्ट नहीं

बाल कल्याण संस्थानों में रहने वाले बच्चों के भोजन को भी बेहतर इंतजाम नहीं है। केंद्र सरकार की गाइड लाइन के हिसाब से संस्थानों में बच्चों के खाने का मीनू चार्ट होना चाहिए। यह चार्ट साप्ताहिक होगा। यानी बच्चों को पता होगा कि किस दिन क्या खाना मिलेगा। अभी ऐसा नहीं है। तकरीबन 25 फीसदी यानी 29 संस्थान ऐसे हैं, जहां पर मीनू चार्ट नहीं है। स्थिति यह है कि तीन-चार दिनों तक एक तरह की सब्जी दी जाती है। आयोग ने माना कि खाद्य सामग्री गुणवत्ता विहीन है। यह बच्चों के परिवार के लिए चिंता का विषय भी है और इस पर राज्य सरकार को जल्दी और सख्त कदम उठाने होंगे।

बोर्ड परीक्षा के पहले माशिमं ने बंद की हेल्पलाइन, स्टूडेंट्स की परेशानी बढ़ी

कोरोना कॉल में हेल्पलाइन पर रोजाना आ रहे थे 900 से 1000 कॉल

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

एमपी बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए चलाई जा रही हेल्पलाइन ठीक परीक्षा के पहले बंद कर दी गई है । अहम बात यह है कि अच्छे रिस्पॉन्स के कारण इस हेल्पलाइन को पूरे साल चलाया गया। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार किया है।

एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चार माह बाद शुरू होंगी। इससे पहले हेल्पलाइन बंद करने से स्टूडेंट्स परेशान हैं। हर साल मंडल की इस हेल्पलाइन में बोर्ड परीक्षा को लेकर रोजाना 600 से 700 स्टूडेंट्स के कॉल आते थे। कोरोना काल में हर दिन 900 से 1000 तक कॉल आए। इस तरह पिछले वर्ष प्रदेश भर से लगभग 9.38 लाख स्टूडेंट्स और उनके पैरेंट्स ने कॉल कर अपनी समस्याओं का समाधान किया।

शिक्षक फोन पर करते थे डाउट क्लीयरः इस हेल्पलाइन से विषय के शिक्षकों को जोड़ा जाता था। हेल्पलाइन नं. 18002330175 पर

विद्यार्थी यहां पा सकते हैं समाधान
वैकल्पिक हेल्पलाइन
उमंग 14425

फोन करने वाले छात्रों को विषय संबंधी किसी समस्या के समाधान के लिए काउंसलर संबंधित विषय के शिक्षक का नंबर देती थीं। इस पर शिक्षकों से बात कर स्टूडेंट्स अपने डाउट्स क्लीयर करते थे। स्टूडेंट्स का कहना है कि इस बार रेगुलर कक्षाएं नहीं लगी हैं, ऐसे में शिक्षकों के अतिरिक्त सपोर्ट की आवश्यकता है, तब हेल्पलाइन बंद कर दी गई है।

माध्यामिक शिक्षा मंडल की हेल्पलाइन में तीन शिफ्ट में 18 काउंसलर और 100 से अधिक विषय विशेषज्ञ शामिल होते थे। सुबह 8 से रात 8 बजे तक हेल्पलाइन सेवा जारी रहती थी। हर शिफ्ट में 6-6 काउंसलर बच्चों समस्याएं सुनते थे।

Badri Gautam

क्यों जरूरी है हेल्पलाइन

1. कोरोना काल के चलते इस बार कक्षाएं नहीं लगने से स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाई है।
2. मंडल ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किए हैं।
3. टाइम टेबल में होने वाले बदलावों के बारे में जानकारी दी जाती।
4. कोरोना के कारण परीक्षा केंद्र बढ़ाए जाएंगे। नए सेंटर ढूंढने में हेल्पलाइन से मदद मिलती।
5. परीक्षा से पहले काउंसलर से मार्ग दर्शन की जरूरत।

कमेटी के सुझाव पर सरकार ने शुरू की थी हेल्पलाइन

पिछले वर्षों में बोर्ड परीक्षा के तनाव और रिजल्ट खराब होने के चलते स्टूडेंट्स द्वारा आत्महत्या के प्रकरण बढ़ रहे थे। इस पर रोक लगाने और स्टूडेंट्स को सही मार्गदर्शन देने के लिए प्रदेश सरकार ने कमेटी का गठन किया था। कमेटी के सुझाव और विद्यार्थियों के अच्छे रिस्पॉन्स के कारण बीते साल हेल्पलाइन को साल भर चलाया गया, अन्यथा पहले यह पांच माह चलती थी।

केन्द्र सरकार की नीति है कि अभिकरण के कर्मी स्थाई नहीं माने जाएंगे

डीआरडीए के 5000 कर्मचारियों को झटका

पीपुल्स ब्यूरो ● भोपाल
मो.नं. 9425174141

Badri Gautam

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में कार्यरत रहे कर्मचारियों को एक और झटका लगा है। अभिकरण बंद करने के बाद सभी कर्मचारियों को पंचायत विभाग में विलय तो कर लिया गया है लेकिन उन्हें पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलेगा। इससे प्रदेशभर के पांच हजार से अधिक कर्मचारी प्रभावित होंगे।

हर कर्मचारी के हिस्से में औसतन आठ लाख रुपए आ रहे हैं जो नहीं मिलेंगे। पंचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत डीआरडीए में सेवारत अमले को दिसम्बर 1997 में जनपद तथा जिला पंचायत में विलय कर दिया गया था। इस संबंध में 25 सितम्बर 97 में अधिसूचना भी जारी कर दी गई। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए विकास आयुक्त कार्यालय ने डीआरडीए के कर्मचारियों को जिला और जनपद पंचायतों में रिक्त समकक्ष पदों पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर दिया।

इधर, ऑल इंडिया डीआरडीए स्टाफ वेलफेयर ऐसासिएशन ने उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका लगाते हुए पक्ष रखा कि कर्मचारियों को विभाग में संविलियन करने के साथ उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाए। कोर्ट ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए।

यह कहते हुए पेंशन देने किया मना

पंचायत विभाग ने कहा कि डीआरडीए के कर्मचारियों का विलय कर दिया गया है लेकिन उन्हें शासकीय सेवक नहीं माना गया है इसलिए पेंशन की पात्रता नहीं रहेगी। ग्रेच्युटी राशि भी शासन द्वारा राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

केन्द्र के नियमों का हवाला

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने केन्द्र द्वारा जारी वर्ष 2002 में जारी गाइड लाइन का हवाला देते हुए कहा है कि नीतिगत तौर पर डीआरडीए का कोई स्थायी कर्मी वर्ग नहीं होगा। अभिकरण में सीधी भर्ती करने की अनुमति भी नहीं रहेगी। ऑल इंडिया डीआरडीए स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के रामकुमार सिंगरोले का कहना है कि प्रत्येक राज्य में अलग लाइन डिपार्टमेंट का उल्लेख है।

फीस फिक्स नहीं तो प्रवेश नहीं दे पाएंगे 300 कॉलेज

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

Badri Gautam

प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति (फीस कमेटी) द्वारा प्रदेश के 300 प्रोफेशनल कॉलेजों की आगामी तीन सत्रों की फीस निर्धारित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

आगामी तीन सत्रों 2022-23, 2023-24 और 2024-25 की फीस निर्धारित करने के लिए प्राइवेट कॉलेजों को 30 अप्रैल तक प्रस्ताव करना होगा। कॉलेज अपनी फीस फिक्स कराने के लिए फीस कमेटी नहीं पहुंचते हैं, तो उन्हें प्रवेश करने काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। इससे उनका जीरो ईयर तक घोषित हो सकता है। फीस कमेटी द्वारा इस बार फीस फिक्शेसन में कई बदलाव किए गए हैं। अब कॉलेजों को गत वर्ष हुए खर्च के हिसाब से ही फीस मिलेगी। इससे उनकी फीस में काफी कटौती हो सकती है। इसका फायदा अब विद्यार्थियों को मिलेगा। उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के हिसाब से फीस जमा करनी होगी। अभी तक प्रदेश के कॉलेज अपनी पिछली फीस और औसतन फीस फिक्स कराने के लिए फीस कमेटी को आवेदन देते थे। उनके आवेदन में कई ऐसे दस्तावेज होते थे, जिसके विहॉफ पर कमेटी उनकी पिछली फीस या न्यूनतम फीस तय कर देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फीस कमेटी ने आगामी तीन सत्र 2022-23, 2023-24 और 2024-25 की फीस निर्धारित करने के मापदंड तैयार किए हैं। इससे कॉलेज विद्यार्थियों से मनमानी नहीं कर सकेंगे और सही फीस ही ले पाएंगे।

सड़क हादसों को रोकने की कवायद, ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए प्रदेश से 17 आवेदन आए

ड्राइविंग स्कूल देंगे प्रशिक्षण, डीएल बनाते समय नहीं होगा टेस्ट

आशीष शर्मा ● ग्वालियर
मो.नं. 9098682242

पीपुल्स समाचार
विशेष

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए देश के हर राज्य में ड्राइविंग स्कूल खोलने की योजना बनाई है। ड्राइविंग स्कूल में मास्टर ट्रेनरों द्वारा लोगों को भारी और हल्के वाहनों को चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्कूल से ट्रेनिंग लेने वाले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए जो भी खर्च आएगा, उसका पचास फीसदी या अधिकतम एक करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। उप परिवहन आयुक्त एके सिंह की मानें तो हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 1.50 लाख लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं और इसमें अधिकतर दुर्घटनाएं चालक की गलती के कारण होती हैं। चालक वाहन चलाने में प्रशिक्षित होगा तो सड़क दुर्घटनाएं निश्चित ही कम होंगी।

ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए इन जिलों से आवेदन

छतरपुर से 2 आवेदन, दमोह से 1, रीवा से 1, सागर से 1, सीहोर से 3, विदिशा से 2, बालाघाट से 2, सीधी से 1, शिवपुरी से 1, होशगांबाद से 1, बैतूल से 2, शाजापुर से 1, हरदा से 1 प्राप्त हुए हैं। परिवहन आयुक्त ने इनकी पड़ताल के बाद केंद्र सरकार को भेज दिया है। अब केंद्र तय करेगी कि किन्हें ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए अनुमति देना है।

स्कूल खोलने के लिए यह होना जरूरी

स्वामित्व की दो एकड़ भूमि या जमीन दस वर्ष की लीज पर ली गई हो, कम्प्यूटर एवं मल्टीमीडिया से सुसज्जित दो कमरे, हल्के व भारी भारी वाहनों के लिए अलग-अलग सिम्युलेटर और ड्राइविंग ट्रेक।

प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर परिवहन आयुक्त ने उप परिवहन आयुक्त ग्वालियर चंबल संभाग एके सिंह की अध्यक्षता में छह सदस्यीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन किया है।

हादसों पर रोक लगाने के उद्देश्य से खोले जा रहे स्कूल

सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से ही देश भर में ड्राइविंग स्कूल खोले जाने हैं। इन स्कूलों में लोगों को हल्के और भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि स्कूल खोलने का जो भी खर्च आएगा, उसमें केंद्र सरकार भी मदद करेगी।

मुकेश कुमार जैन, परिवहन आयुक्त म.प्र.

Badri Gautam

पीएससी पर 113% आरक्षण लागू करने का लगाया आरोप

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 जनवरी को तय की

पीपुल्स ब्यूरो ● जबलपुर

editor@peoplessamachar.co.in

Badri Gautam

मप्र लोक सेवा आयोग-2019 की प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आरोप है कि पीएससी ने 113% आरक्षण लागू किया है, जो अवैधानिक है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मामले में शासकीय अधिवक्ता को स्ट्रंक्शन प्राप्त कर पक्ष रखने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 21 जनवरी को तय की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चारों केटेगिरी के आरक्षित अभ्यर्थियों के मेरिट में अंक अधिक होने के बावजूद उन्हें अपनी केटेगिरी में समाहित किया गया, नियमानुसार अधिक अंक प्राप्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित में ट्रांसफर करने का प्रावधान है। परिणाम में ओबीसी एवं अनारक्षित की कटऑफ 146-146 अंक है तथा पीएससी ने 113% आरक्षण लागू कर दिया है, जो अचंभित करता है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 40%, ओबीसी के 27%, एससी के लिए 16% व एसटी के लिए 20 व ईडब्ल्यूएस के लिए 10% जिससे कुल आरक्षण 113 फीसदी हो गया है, जो कि अवैधानिक है।

अब बच्चों को नहीं होगी परेशानी, सरकारी स्कूलों के लिए चलेगी बस

स्कूल शिक्षा विभाग तैयार कर रहा योजना, सीएम राइज स्कूलों पर खर्च होंगे साइकिल के तीन सौ करोड़

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

कोरोना संक्रमण काल में स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश की स्कूली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। स्टीम एजुकेशन पद्वति, सीएम राइज स्कूल योजना, ऑनलाइन एजुकेशन, हमारा घर हमारा विद्यालय जैसी कई पहल के बाद अब विभाग सरकारी स्कूलों के बच्चों को दो पहिया वाहन से चार पहिया वाहन पर स्कूल लाने को लेकर तैयारी कर रहा है। यानि साइकिल योजना के बदले अब बस योजना को लेकर विभाग तैयार कर रहा है। साइकिल पर खर्च होने वाला लगभग 300 करोड़ रुपए का बजट सीएम राइज योजना के तहत अपडेट होने वाले स्कूलों पर खर्च किया जाएगा। इन स्कूलों के बच्चों के लिए सरकार बस चलाएगी। पहले चरण में पॉयलेट प्रोजेक्ट के तौर पर यह योजना सिर्फ सीएम राइज स्कूल के बच्चों के लिए होगी। वहीं फिलहाल शेष स्कूलों के बच्चों को साइकिल मिलेगी। नए प्रयोग के बेहतर परिणाम आने पर इसे सभी स्कूलों पर लागू किया जाएगा और साइकिल योजना बंद की जाएगी।

दो किमी दूर से आने वाले बच्चों को मिलती है साइकिल

प्रदेश में 1 लाख 42 हजार 512 प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल एवं 6 हजार 534 हाईस्कूल व हायरसेकंडरी स्कूल हैं। इन स्कूलों में साइकिल वितरण के लिए लगभग 5 लाख 91 हजार 406 विद्यार्थी हैं। वर्ष-2017 से 2 किमी दूर से आने वाले विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया है। इस तरह सत्र 2019-20 में उन सभी विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की जाएगी, जो 6वीं व 9वीं में अध्ययनरत हैं। इसके लिए लगभग 6 लाख साइकिलें खरीदने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल जिले में 3874 विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की जाएगी। इस बार कक्षा छठवीं के एक लाख 58 हजार 500 और नवमी के 4 लाख 32 हजार साइकिलें दी जानी है।

कैसे होंगे सीएम राइज स्कूल?

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के एक लाख दो हजार सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर 9200 स्कूलों को सीएम राइज स्कूल के रूप में अपडेट किया जाना है। प्रत्येक सीएम राइज स्कूल में लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस तरह प्रदेश भर के सीएम राइज स्कूलों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन स्कूलों में हिंदी-अंग्रेजी दोनों माध्यम से पढ़ाई होगी। निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को स्वीमिंग पूल, बैंकिंग काउंटर, डिजिटल स्टूडियो, कैफेटेरियाए जिम, थिंकिंग एरिया सहित अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। इनमें प्री-नर्सरी से हायर सेकंडरी की कक्षाएं संचालित होंगी।

इसलिए पड़ी इस प्रस्ताव की जरूरत

प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लगभग 5.91 लाख बच्चों को साइकिल वितरण योजना के तहत लाभ मिलता है। अब स्कूल शिक्षा विभाग ने सीएम राईज स्कूलों को अपडेट करने की कवायत तेज कर दी है, जिसमें बड़ी राशि खर्च होनी है, लेकिन, बताया जाता है इस सब के लिए विभाग के पास अभी पर्याप्त बजट नहीं है, इसलिए अधिकारियों द्वारा साइकिल योजना से बच्चों को बस से स्कूल ले जाने की यह योजना तैयार की जा रही है। हालांकि इसको लेकर अभी विभागीय अधिकारी बोलने से बच रहे हैं।

साइकिल वितरण योजना अभी नहीं होगी बंद

अभी फिलहाल साइकिल वितरण योजना को बंद करने की कोई प्लानिंग नही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम राइज योजना भी शामिल है। जिस पर काम जारी है।

रश्मि अरुण शमी, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग

Badri Gautam

जनजाति क्षेत्रीय आवासीय विद्यालयों में मॉक टेस्ट शुरू

जयपुर, (ब्यूरो)। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के 36 आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12वी एवं 10वी के सभी विषयों में विद्यार्थियों हेतु मॉक टेस्ट शुक्रवार से प्रारंभ हुए है। यह आदेश विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल द्वारा जारी किए गए।

स्कूलों में कोविड19 गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया गया।

Badri Gautam

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के आयुक्त जितेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि इस मॉक टेस्ट की विस्तृत कार्य योजना सीईओ, पदेन माडा परियोजना अधिकारी एवं उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को भेजी जा चुकी है, जिसमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल की पालना करते हुए परीक्षार्थियों के लिए सैनिटाइजेशन की पूर्ण व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अनिवार्य होगी।

आवासीय व्यवस्था में प्रत्येक कक्ष में एक या दो विद्यार्थियों की व्यवस्था किए जाने के निर्देश है। इसी गाइडलाइन की पालना में परीक्षा कक्ष में बैठक की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों को समूह में एकत्र नहीं होने के निर्देश दिए गए है व साथ ही हाथ धोने की व्यवस्था भी की गई है जिससे वे बार-बार हाथ धो सकेंगे। उन्होंने बताया कि टेस्ट के दौरान विद्यार्थियों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। शिक्षकों, वार्डन एवं कर्मियों को भी इस संबध में पृथक से निर्देश दिए गए है। जो विद्यालय क्वारंटाइन सेंटर थे उनको सैनिटाइज किया गया है।

पंजाब में 7800 से अधिक सरकारी स्कूल स्मार्ट स्कूलों में बदले

चंडीगढ़, (एजेंसी)। पंजाब सरकार ने स्कूलों के बुनियादी ढांचे का कायाकल्प करते हुए अब तक 7842 सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में तब्दील किया है। इससे सरकारी स्कूलों में इस साल नए दाखिलों में न केवल 14 प्रतिशत से अधिक का विस्तार हुआ है बल्कि सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ा है।

स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता के अनुसार राज्य के सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदलने के लिए साल 2019 में स्मार्ट स्कूल नीति तैयार की थी। ये स्मार्ट स्कूल किसी भी आम स्कूल की अपेक्षा पूरी तरह अलग हैं। ये प्रौद्यौगिकी आधारित अध्यापन प्रशिक्षण संस्थान हैं जो बच्चों के संपूर्ण विकास को यकीनी बनाते हैं। ये वे स्कूल हैं जिनमें मानक विद्या प्रदान करने के लिए कला सहूलतें स्मार्ट क्लास रूम, डिजिटल सामग्री, सौर ऊर्जा, खेल सहूलतें, स्मार्ट वर्दी, आकर्षक वातावरण समेत शैक्षिक पार्क, कलर कोडिंग, लैंडस्केपिंग मुहैया करवाई गई है।

Badri Gautam

स्कूल के बुनियादी ढांचों में सुधार हुआ

सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में बदलने के लिए इसमें भाईचारे का सम्मिलन यकीनी बनाने, अध्यापकों और अभिभावकों समेत सभी हिस्सेदारों की भागीदारी से राज्य की स्कूल शिक्षा प्रणाली को मज़बूत करने, स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मज़बूत बनाने, सरकारी स्कूलों को डिजिटल शिक्षा देने के लिए डिजिटल साधनों से लैस करने, विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्यौगिकी मुहैया करवाने, विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाना आदि का लक्ष्य निश्चित किया गया था। स्मार्ट स्कूल नीति के अधीन स्मार्ट क्लास रूम स्थापित करने के साथ-साथ स्कूलों में सी.सी.टी.वी. कैमरे, ग्रीन बोर्ड / सफ़ेद बोर्ड, सभी विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर मुहैया करवाना है। इसके साथ ही स्कूलों के प्रवेश द्वारों को सुंदर रूप देना, पीने वाले साफ़ पानी, लड़कियाँ और लडक़ों के लिए सामान पाखाने, स्टाफ रूम और प्रिंसीपलों / हैड मास्टरों के लिए कमरा, अच्छी तरह से लैस साईंस लैब्ज़, व्यावसाय संबंधी प्रयोगशालाओं, आईसीटी लैबोरेटरियाँ आदि भी उपलब्ध कराई गई हैं।

सैनिक स्कूल में हुई ऑनलाइन सेंट्रल जोन अंतर्विद्यालयीन क्विज प्रतियोगिता

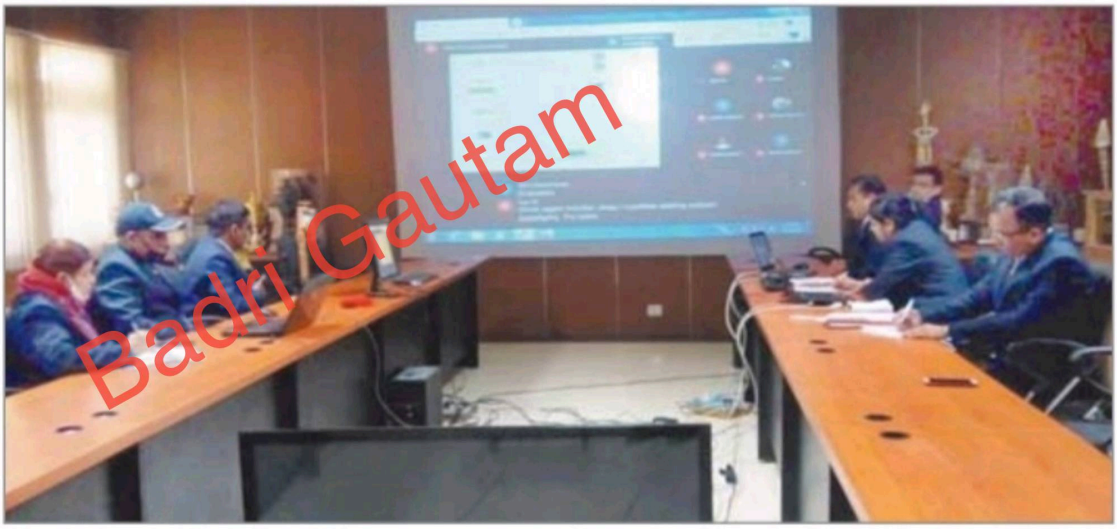

जागरण, रीवा। सैनिक स्कूल रीवा मे ऑनलाइन सेंट्रल जोन अंतर्विद्यालयीन क्विज प्रतियोगिता काआयोजन विद्यालय के कॉन्फ्रेंस हाल में किया गया। इस प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन के विभिन्न राज्यों के कुल सात सैनिक स्कूलों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रत्येकविद्यालय से 2 प्रतिभागी सम्मिलित थे। प्रतियोगिता के कुल 6 राउंड थे जो कि जनरल राउंड , इंडियन डिफेन्स , एनाग्रम , विजुअल , ऑडियो व रैपिड फायर थे। सभी राउंड में प्रतिभागियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखनें को मिली। प्रतियोगिता का परिणाम इस प्रकार रहा। प्रथम-सैनिक स्कूल अंबिकापुर, द्वितीय - सैनिक स्कूल नालंदा, तृतीय-सैनिक स्कूल रीवा। उपप्राचार्य ने अपने उद्बोधन में सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया तथा विजेता टीम को शुभकामनाएं दी। इस प्रतियोगिता में स्क्वाड्रन लीडर एएन ठाकुर ,उपप्राचार्य डॉ आरएस पांडे, वरिष्ठ अध्यापक एसके मिश्रा, समग्र समन्वयक रवि त्रिपाठी, क्विज मास्टर, मोहित कुमार, तकनीकी समन्वयक, शिक्षक व प्रतिभागी जुड़े रहे।

क्योटी स्कूल को शासनाधीन करने का मामला

आयुक्त ने किया था इंकार फिर भी चल रही स्क्रीनिंग, बैठी जांच

आयुक्त लोक शिक्षण मप्र ने 24 नवंबर 2018 को जारी किया था आदेश, जेडी ने नियम विरुद्ध चल रही स्क्रीनिंग की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम बनाई

जागरण, रीवा

अशासकीय रामकृष्ण उमावि क्योटी को शासनाधीन करने से आयुक्त लोक शिक्षण ने साफ साफ इंकार कर दिया था। यह हलफनामा भी कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया था। इसके बाद भी नियम विरुद्ध रीवा में स्कूल को शासनाधीन करने की प्रक्रिया चल रही है। स्क्रीनिंग की जा रही है। इस मामले के प्रकाश में आने के बाद जेडी ने जांच बैठा दी है।

ज्ञात हो कि 8 अशासकीय विद्यालयों को लोक शिक्षण ने शासनाधीन किए जाने का आदेश जारी किया था। इन विद्यालयों के शिक्षकों को शासनाधीन का लाभ देने के लिए स्क्रीनिंग करने और पात्रता अनुसार सूची शासन को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। इन 8 में से एक क्योटी विद्यालय का मामला खटाई में पड़ गया है। न्यायालय में याचिका क्रमांक डब्लूपी 3971/2016 में आयुक्त लोक शिक्षण ने पक्ष प्रस्तुत करते हुए क्योटी विद्यालय को निकायाधीन किए जाने के प्रस्ताव को अमान्य कर दिया था। आयुक्त ने स्कूल की जांच कराने के बाद 24 नवंबर 2018 को आदेश जारी किया था। इसमें हाईकोर्ट में प्रस्तुत याचिका का जिक्र करते हुए सभी बिंदुओं को शामिल किया था। आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि अशासकीय रामकृष्ण उमावि क्योटी जिला रीवा में कार्यरत कर्मचारियो के संविदा पारिश्रमिक भुगतान की पात्रता निर्धारण के लिए कलेक्टर रीवा की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी ने समय समय पर निरीक्षणकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर परीक्षण किया गया। परीक्षण में पाया गया कि हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूल की मान्यता खंडित है। निरंतर नहीं है। संस्था को सत्र 1999-2000, 2001-02 से वर्ष 2006-7, 2012-13, 2014-15 की मान्यता माशिमं से प्राप्त नहीं है। स्कूल को नियमित पात्रता नहीं थी, ऐसे में कर्मचारियों को भुगतान की पात्रता नहीं बनती। इसके अलावा कहा गया है संस्था में प्राचार्य पद पर विवाद है। श्रीमती सुधा शर्मा एवं चक्रमणि द्विवेदी दोनों वर्तमान में स्वयं को प्राचार्य घोषित कर कार्य करने का दावा कर रहे हैं। प्राचार्य पद की सेवा पुस्तिका दोनों की जमा है। दोनों के हस्ताक्षर से अलग अलग कर्मचारियों की सर्विस बुक भी जमा कराई गई है। इन्होंने क्रमशः 82 और 53 कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत की है, इसके कारण कर्मचारियों को चिन्हित करने से आयुक्त लोक शिक्षण ने इंकार कर दिया।

सरकारी जमीन पर बनी है स्कूल पेनाल्टी भी लगी

अपर कलेक्टर रीवा के जांच प्रतिवेदन के अनुसार विद्यालय को शासकीय करने की प्रक्रिया के चलते स्टाफ को हटाने व जोड़ने की अवैधानिक कार्यवाही प्रबंधन द्वारा की जाना प्रतीत होती है। विद्यालय प्रबंधन एवं प्राचार्य सहित स्टाफ की भूमिका पर भी संदेह व्यक्त किया गया था। विद्यालय निरीक्षण का भी पत्र में जिक्र किया गया। इसमें कहा गया कि विजय बहादुर सिंह जांचकर्ता अधिकारी के निरीक्षण में यह स्पष्ट किया गया है कि रामकृष्ण उमावि क्योटी शासकीय जमीन पर बना हुआ है। विद्यालय का संचालक वर्ष 2011-12 के बाद नियमित रूप से नहीं कराया जा रहा है। निरीक्षण 11 दिसंबर 2014 को 1 बजे विद्यालय बंद पाया गया। न कोई शिक्षक, प्राचार्य और ना ही छात्र उपस्थित थे। इन सभी बिंदुओं के अलावा यह भी जिक्र किया गया है कि संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग रीवा के पत्र क्रमांक/योजना/ शिका/ जांच/ 2015/237 दिनांक 4 दिसंबर 2015 के अनुसार क्योटी का प्रकरण विशेष पुलिस स्थापना में प्रचलित पाया गया है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर आयुक्त लोक शिक्षण ने पत्र जारी 24 नवंबर 2018 को पत्र में लिखा है कि रामकृष्ण उमावि क्योटी जिला रीवा को निकायधीन करने का प्रस्ताव अमान्य किया जाता है।

कलेक्टर ने मांगा था मार्गदर्शन

कमेटी बनाकर स्कूलों की जांच और स्क्रीनिंग कराई गई। इसमें सिर्फ 5 स्कूलें ही पात्र मिली थी। शेष तीन स्कूलें शासनाधीन किए जाने की गाइड लाइन में फिट नहीं बैठी। इसमें क्योटी, लक्ष्मणपुर और जवा की जनता स्कूल शामिल थी। इन स्कूलों के लिए कलेक्टर ने प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा था।

आयुक्त ने कलेक्टर को लिखा था पत्र

इसके बाद 19 नवंबर 2018 को आयुक्त लोक शिक्षण ने कलेक्टर को पत्र लिखकर कहा था कि 22 मार्च 2002 के द्वारा कुल 8 विद्यालयों को निकायधीन करने का निर्णय लिया गया था। इसमें से अशासकीय शिवाजी उमावि सूती, जनता कॉलेज चंदेह, सेवादल उमावि खारा, महावीर उमावि दुलहरा की स्क्रीनिंग कराकर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है, जबकि प्रस्ताव कलेक्टर के माध्यम से आना चाहिए। शेष 4 विद्यालयों का प्रस्ताव कलेक्टर के माध्यम से नहीं मिलने की जानकारी दी गई थी। पत्र में कहा गया था कि उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में विद्यालय के शैक्षणिक अमले को अध्यापक संवर्ग का वेतनमान तीन महीने के अंदर दिए जाने के निर्देश हैं। शासन के निर्देश के अनुक्रम में यदि विद्यालय की स्क्रीनिंग हो चुकी है तो प्रस्ताव संचालनालय को भेंजे यदि विवाद है तो फिर से स्क्रीनिंग कर प्रस्ताव मांगा गया था।

तीन सदस्यीय टीम गठित

जेडी लोक शिक्षण नीरव दीक्षित ने मामला प्रकाश में आने के बाद तीन सदस्यीय टीम गठित कर दी है। इसमें प्रमुख रूप से टीपी सिंह सहायक संचालक, गंगा प्रसाद उपाध्याय मॉडल स्कूल क्रमांक एक, लाख नारायण पाण्डेय प्राचार्य पाण्डेन टोला को शामिल किया गया है। जांच के बाद रिपोर्ट जेडी को प्रस्तुत करेंगे।

> क्योटी स्कूल को लेकर आदेश हुआ था। इसके बाद मार्गदर्शन मांगा गया था। शासन से 2018-19 में आदेश आया था।
>
> **डॉ आरएन पटेल**
> **जिला शिक्षा अधिकारी, रीवा**

Badri Gautam

हाइकोर्ट ने किया जवाब तलब

केंद्र, राज्य सरकार को नोटिस

लोकसेवक की जांच के पूर्व अनुमति के कानून को चुनौती

मप्र हाइकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में किए गए हालिया संशोधन को चुनौती पर गम्भीरता दर्शाई।

जबलपुर। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने इस सम्बंध में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किए। कोर्ट ने 23 फरवरी तक जवाब मांगा।

जबलपुर निवासी नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ पीजी नाजपाण्डे व डॉ एमए खान की ओर से याचिका दायर की गई। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने कोर्ट को अवगत कराया कि सरकारी कर्मियों व लोकसेवकों का भ्रष्टाचार नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 लाया था। यह अधिनियम अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब भी रहा। लेकिन केंद्र सरकार ने हाल ही में इस अधिनियम में संशोधन कर इसमें नई धारा 17 ए जोड़ दी। इस धारा के तहत प्रावधान कर दिया गया कि लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की शिकायत पर जांच आरम्भ करने के पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। अधिवक्ता उपाध्याय ने इस संशोधन को गैरकानूनी बताया। उन्होंने तर्क दिया कि लोकसेवक की परिभाषा मे सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि (विधायक, मंत्री) आते हैं। नए प्रावधान के तहत इनके खिलाफ जांच की अनुमति देने वाला भी सरकारी अधिकारी होगा। इसके

चलते इन लोकसेवकों के खिलाफ जांच की अनुमति निष्पक्षता से प्रदान की जाएगी, यह सन्देह के घेरे में है। उन्होंने तर्क दिया कि अधीनस्थ कार्यरत अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी या जनप्रतिनिधि के खिलाफ अनुमति देने से गुरेज करेंगे। इस तरह से भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की वास्तविक मंशा पूरी होने में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन कर बाधा पैदा करने का प्रयास किया। आग्रह किया गया कि उक्त संशोधन को विधिविरुद्ध मानते हुए निरस्त करने के निर्देश दिए जाएं। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका में बनाए गए अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

Badri Gautam

57 लाख की धोखाधड़ी के आरोपी ने जमा नहीं की रकम अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त

जबलपुर। मप्र हाइकोर्ट ने 57 लाख रु की धोखाधड़ी के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपी की ओर से रकम जमा करने का वादा पूरा न करने पर जस्टिस अतुल श्रीधरन की सिंगल बेंच उसे दी गई गिरफ्तारी से सुरक्षा का आदेश भी वापस ले लिया। कोर्ट ने पुलिस को स्वतंत्रता दी कि आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। न मिलने की सूरत में आरोपी के खिलाफ फरार घोषित कराने के लिए भी कारवाई की जा सकती है।

अंतरिम सुरक्षा का आदेश भी हाइकोर्ट ने लिया वापस

अभियोजन के अनुसार सतना निवासी नीरज मोरडिया बिल्डर का काम करता है। उसने शिकायतकर्ता को अपने प्रोजेक्ट में निवेश करने और प्रोजेक्ट पूरा होने पर 17 फीसदी फायदे का लालच दिया। फलस्वरूप शिकातकर्ता ने उसे 57 लाख रु दे दिए। समय पर प्रोजेक्ट पूरा न होने पर शिकायतकर्ता ने अपनी रकम वादे के अनुसार मांगी तो इनकार कर दिया गया। इस पर शिकायत की गई। सतना की कोलगवां थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 420, 467, 468, 471 व 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज किया। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए यह अग्रिम जमानत की अर्जी पेश की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि आरोपी की ओर से कोर्ट को वचन दिया गया था। इसके तहत उसे शिकायतकर्ता को 57 लाख रु वापस करने थे। राशि चुकाने तक कोर्ट ने उसे गिरफ्तार करने से अंतरिम सुरक्षा दी थी। लेकिन अब तक आरोपी ने यह रकम नही चुकाई। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा का आदेश वापस लेकर अग्रिम जमानत की अर्जी निरस्त कर दी।

फॉर्म भरने में की गलती अब नहीं मिल सकते अतिरिक्त अंक

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद के उम्मीदवार पूर्व अतिथि विद्वानों की याचिकाएं खारिज कर दीं। चीफ मोहम्मद रफीक व जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने फॉर्म भरने में गलती की। अब उन्हें अतिरिक्त अंक नहीं दिये जा सकता।

सागर निवासी विकास अवधवाल सहित चार उम्मीदवारों की ओर से अधिवक्ता संदीप सिंह बघेल, वेद प्रकाश नेमा व देवेंद्र प्रजापति ने कोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद का विज्ञापन निकाला था। जिसमें कहा गया था कि जिन आवेदकों ने पूर्व में किसी विश्वविद्यालय या शासकीय महाविद्यालय के अंतर्गत अतिथि विद्वान खतौर सेवा दी है, उसे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में अतिरिक्त अंक का लाभ दिया जाएगा। चारों याचिकाकर्ता पूर्व में अतिथि विद्वान रह चुके हैं। लेकिन उनकी ओर से गलती यह की गई कि फॉर्म भरते समय संबंधित कॉलम में नो लिख दिया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से यह तथ्य रेखांकित किया गया। जिसे रिकॉर्ड पर लेकर हाई कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दीं।

असिस्टेंट प्रोफेसर पद के उम्मीदवार गेस्ट फैकल्टी की याचिकाएं खारिज

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने हाई कोर्ट को अवगत कराया कि याचिकाकर्ताओं को फॉर्म भरने के बाद फॉर्म में सुधार के लिए भी समय दिया गया था। इसके बावजूद उनकी ओर से अपनी गलती में सुधार नहीं किया गया। इससे साफ है कि यदि अतिरिक्त अंक का लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं बल्कि स्वयं याचिकाकर्ता जिम्मेदार हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाएं निरस्त कर दीं। राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने पक्ष रखा।

निजी स्कूल संचालकों ने बीआरसी को सौंपा ज्ञापन

आष्टा। अशासकीय संगठन ब्लॉक आष्टा के सभी शिक्षकगणो ने हस्ताक्षर कर एक ज्ञापन जनशिक्षा केंद्र अधिकारी अजबसिंह राजपूत को सौंपा। ज्ञापन में निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेशित बच्चों की सत्र 2019-20 की फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में अपनी पीड़ा से अवगत कराते हुए कहा कि विद्यालय की पिछले दस माह से फीस नहीं आ रही है। कोरोना के चलते स्कूल पूर्णरूप से बंद है। वही पालक फीस नहीं दे रहे हैं। विशेषकर 80 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र मे है। जिनकी दयनीय स्थिति है। अगर यही हाल रहा तो स्कूल पूर्णरूप से बंद हो जाएगी। स्कूल संचालकों की मांग है कि 2019-20 की 100 प्रतिशत राशि दी जाए। ताकि शिक्षकों की तनख्वाह दे सके। इस संबंध मं बीआरसी अजबसिंह राजपूत का कहना है कि निजी स्कूल संचालकों द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है। शासन को एवं वरिष्ठ अधिकारीयो को उनकी समस्या से अवगत कराया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश संभागीय कार्यकारिणी सदस्य धर्मेंद्र गौतम जिला उपाध्यक्ष नारायणसिंह जाट सचिव संतोष शर्मा सलाहकार दिलीप शर्मा धर्मेंद्र सिंह ठाकुर जितेंद्र परमार,जय बोहरा सोनू निगम मौजूद थे।

Badri Gautam

जिले के परीक्षा परिणामों में वृद्धि के लिए विद्यालयों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त

स्टार समाचार सीधी

म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशानुसार विद्यालय खुल चुके हैं। कक्षा 10वीं एवं 12वीं की कक्षायें नियमित रूप से संचालित हैं। कक्षा 9 और 11वीं की कक्षायें उपलब्ध भवन और स्थानीय निर्णय के आधार पर संचालित किये जा रहे हैं। विद्यार्थी माता-पिता की लिखित सहमति प्राप्त कर विद्यालय आ रहे हैं। सीमित संसाधनों के होते हुये भी विगत वर्ष जिले में हाईस्कूल के परीक्षा परिणाम में प्रदेश में सर्वाधिक वृद्वि 27.84 प्रतिशत परिलक्षित हुई साथ ही हायर सेकेण्डरी में भी परीक्षा परिणाम में 4.71 प्रतिशत वृद्धि के साथ सम्भाग में प्रथम एवं राज्य में 13वां स्थान रहा। उपरोक्त परिणाम सतत मानीटरिंग एवं शिक्षा विभाग के प्रयासों से सम्पन्न हुआ।

इस वर्ष भी गत वर्ष की उल्लेखनीय प्रगति में और बढ़ोत्तरी हेतु कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर 50 विद्यालयों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। यह विद्यालय नामांकन की दृष्टि से बड़े विद्यालय, मांडल स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय, कन्या विद्यालय एवं विशिष्ट विद्यालय है। प्रभारी अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह में आवंटित विद्यालय का न्यूनतम दो बार अकादमिक भ्रमण किया जाना है। विद्यालय में अकादमिक भ्रमण के समय कमी ढूढ़ना एवं कार्यवाही करना या प्रस्तावित करना नहीं बल्कि पायी गई कमी को प्राचार्य एवं स्टाफ से चर्चा कर दूर करना है। इसके साथ ही शैक्षणिक गुणवत्ता, परीक्षा परिणाम में वृद्धि, विद्यालय की अधोसंरचना विकास की कार्ययोजना तैयार कराना एवं प्राचार्य और स्टाफ से क्रियान्वयन हेतु रणनीति बनाना है। मैरिट में अधिकाधिक स्थान प्राप्त करने, छात्रों को नीट ध्जे.ई.ई. परीक्षा, कक्षा 12वीं के बाद उच्च स्तरीय संस्थान में प्रवेश, अच्छे खिलाडी, प्रदेश एवं राष्ट्रहित कि लिये जिम्मेदार नागरिक बनने के लिये छात्रों को शैक्षणिक काल खण्ड उपरांत प्रोत्साहन देना, विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने एवं विद्यालय का अकादमिक वातावरण तैयार करने के लिये नवाचार एवं सहयोग प्रदान करना आदि है।

Badri Gautam

अब आईटीआई पढ़ाएगा कक्षा.6वीं से 8वीं के छात्रों को विज्ञान और गणित

वैढ़न,(नव स्वदेश)। राष्ट्रीय अविष्कार अभियान के अंतर्गत कक्षा.6वीं से 8वीं के गणित एवं विज्ञान विषय की गतिविधियों का ऑनलाइन प्रसारण किया जायेगा। हर बुधवार सायं 4 से 5 बजे तक सभी विद्यार्थीए शिक्षक और अभिभावक इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर देख सकेंगे। इस कार्यक्रम की शुरूआत राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा 13 जनवरी को दोपहर 3 बजे की जाएगी।

BadriGautam

दवसर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं शनिवार को किया जायगा।

प्राचार्य पद से हटते ही शिक्षक ने किया लाखों का गबन

बीते वर्ष में 1 लाख 50 हजार 800 के गबन का है आरोप, एडीएम ने दिया कार्रवाई का आदेश

सीधी(नवस्वदेश)। जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूरी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मड़वास में प्रभारी प्रिंसिपल रहते हुए मनमोहन साकेत ने लाखों रुपए का गबन किया था जिसकी जांच अभी पूरी भी नहीं हुई थी वही कलेक्टर के द्वारा प्रभारी प्रिंसिपल मनमोहन साकेत को बीते 16 दिसंबर को प्रभारी प्रिंसिपल के पद से हटा दिया गया है जहां पद से हटते उक्त शिक्षक द्वारा बैंक मैनेजर को गुमराह करते हुए स्कूल के खाते से फिर 1 लाख 25 हजार रुपये की राशि निकाली गई है। जिसकी शिकायत मड़वास प्रिंसिपल संतोष तिवारी ने अपर कलेक्टर को लिखित में किया है। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने कार्रवाई का आदेश दिए हैं।

यह है पूरा मामला

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मड़वास के प्रिंसिपल द्वारा अपर कलेक्टर को दिए शिकायती आवेदन के अनुसार बताया गया कि विगत शिक्षा सत्र 2018 ६19 में कक्षा 10वि कक्षा के मनमोहन साकेत प्रधानाध्यापक थे इस दरमियान 116 छात्रों से 13 सौ रुपए की दर से प्रति छात्र 1 लाख 50 हजार 800 रुपये स्कूल फीस के नाम

से वसूली किए थे। जहां उक्त राशि को आज तक स्कूल में नहीं जमा कराया गया है। प्रभारी प्रिंसिपल के द्वारा बताया गया कि इस दरमियान उन्होंने प्रभारी प्राचार्य रहते हुए स्कूल में पदस्थ बाबू अर्जुन सिंह से 40 हजार रुपए नगद यह कह कर लिए थे कि स्कूल की फीस जमा करते समय यह पैसा वापस दे दूंगा लेकिन आज तक यह पैसा जमा नहीं हो पाया है।

पद से हटते ही निकाला लाखों की राशि

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मड़वास के प्रिंसिपल संतोष तिवारी के ने बैंक स्टेटमेंट समेत एडीएम को लिखित शिकायत देकर बताया कि बीते 16 दिसंबर 2020 को भारी अनियमितता पाए जाने पर प्रभारी प्रिंसिपल मनमोहन साकेत को पद से हटा दिया गया था। जैसे ही यह जानकारी शिक्षक मनमोहन साकेत को लगी उन्होंने बैंक मैनेजर को फर्जी चेक बुक गुम जाने हेतु आवेदन देकर प्रिंसिपल पद में नहीं रहते हुए भी बैंक मैनेजर को गुमराह कर 1 लाख 25 हजार रुपए निकाल लिया गया है। जिसकी जानकारी मड़वास प्रिंसिपल को लगते ही हड़कंप मच गया।

स्टेशनरी के नाम पर लाखों का गबन

मनमोहन साकेत प्रिंसिपल रहते हुए स्टेशनरी तथा फर्नीचर के नाम पर लाखों रुपए की राशि निकाल ली गई है प्रिंसिपल का आरोप है कि 11881 रुपए उपाध्याय स्टैनरी सीधी को बिना सामग्री लिए ही चेक के द्वारा भुगतान किया गया है जबकि 56901 रुपए की राशि चेक के माध्यम से पूजा फर्नीचर को भुगतान किया गया है। हद तो तब हो गई जब किसी श्यामकली साकेत के नाम से 50 हजार रुपए का चेक जारी कर राशि की निकासी की गई है जो कि नियम विरुद्ध है। और तो और इनका कारनामा यहीं नहीं रुका है विज्ञापन मद से भी लाखों रुपए का घोटाला किया गया है। प्रिंसिपल ने बताया कि इनकी सही जांच होने पर करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आएगा। पूरे मामले को लेकर प्रिंसिपल ने अपर कलेक्टर को शिकायती आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है।

इनका कहना है

इसकी शिकायत मुझे प्राप्त हुई है इसकी जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को आदेशित किया गया है जैसे इस जांच रिपोर्ट आएगी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

हर्षल पंचोली
अपर कलेक्टर सीधी

Badri Gautam

छात्रा को मिली बैटरी चलित ट्रायसाइकिल

-निज प्रतिनिधि-

गुना। सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा गुरुवार को एक 80 प्रतिशत अस्थिबाधित शांति भिलाला को बैटरी चलित ट्राइसिकिल दी गई। जिसे पाकर वह काफी खुश नजर आई। ट्राइसिकिल प्राप्त करने वाली यह छात्रा ग्राम भोदपुरा तहसील बमौरी की रहने वाली है। जो वर्तमान में बीए प्रथम वर्ष पीजी कॉलेज में अध्ययनरत है। विभाग द्वारा शांति भिलाला को निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 10वीं कक्षा में प्रथम बार प्रवेश लेने पर लेपटाप दिया गया था। साथ ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजनान्तर्गत प्रतिमाह 600 रुपए दिए जाते हैं। छात्रा ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बैटरी चलित ट्रायसाइकल की मांग की थी। जिसके बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नीलेश पारिख ने तत्काल आवेदिका को सामाजिक न्याय विभाग गुना से ट्रायसिकिल उपलब्ध करवाई।

Badri Gautam

अगले सत्र में शुरू होगा खगोल विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

भोपाल निप्र

शहर के महर्षि पतंजली संस्कृत संस्थान एवं स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शासकीय जीवाजी वेधशाला उज्जैन में शुक्रवार को प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदरसिंह परमार के मुख्य आतिथ्य में नक्षत्र वाटिका का शुभारम्भ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने की। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, विवेक जोशी आदि उपस्थित थे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर वेधशाला में शैक्षणिक गतिविधियों के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की मांग पर अगले शैक्षणिक सत्र में खगोल विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की घोषणा की। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार ने कहा कि प्रारम्भ से भारत देश विश्वगुरू था। देश में रामराज की परिकल्पना थी कि सबको समान अधिकार मिले। राष्ट्र के पुनर्निर्माण में आमूलचूल परिवर्तन करने की थी। इस कड़ी में भारत सरकार के द्वारा शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति अधिनियम लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति के कारण कई क्षेत्रों में लाभ आने वाले समय में होंगे। खगोलीय घटनाओं की जानकारी नई पीढ़ी को दी जाना चाहिये।

Badri Gautam

मोबाइल पर कॉल करने के लिए अब जीरो जरूरी

नई दिल्ली। शुक्रवार से देशभर में मोबाइल पर कॉलिंग के नियम में बदलाव हो गया। शुक्रवार से लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए आपको शुरुआत में जीरो लगाना होगा। इस कदम से भविष्य के लिए कई नए नंबर की संभावनाएं सृजित होंगी। 253.9 करोड़ नए नंबर बनाए जा सकेंगे।

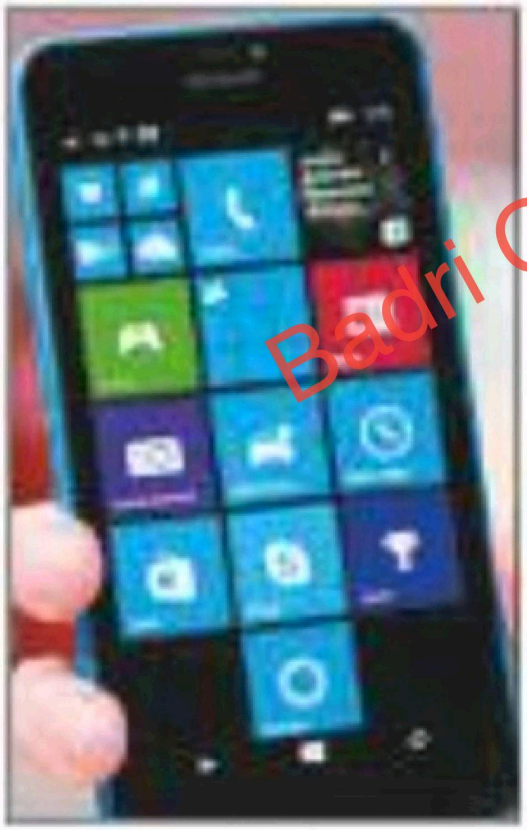

Badri Gautam

केरल सरकार ने पेश किया अंतिम बजट

5 साल में 20 लाख नौकरियां देने का ऐलान, पेंशनवद्धि की

एजेंसी ▶▶ तिरुवनंतपुरम

केरल के वित्त मंत्री टीएम थॉमस इसाक ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट पेश किया। यह वर्तमान लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार का आखिरी बजट है। वित्तमंत्री टी. एम. थॉमस इसाक ने 2021-22 के लिए राज्य के पेश बजट में कल्याणकारी पेंशन में वृद्धि और कई राहत उपायों का प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य पांच साल के भीतर डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से 20 लाख नौकरियां प्रदान करना है। हालांकि यह पूर्ण बजट पारित नहीं किया जाएगा।

4 माह के लिए लेखानुदान पारित होगा

वित्तमंत्री ने वेलफेयर पेंशन में 1,600 रुपए की वृद्धि की घोषणा की और 5 लाख नई नौकरियों का वादा किया। उन्होंने पांच वर्षों के भीतर डिजिटल प्लेटफार्मों में 20 लाख रोजगार सृजन का भी वादा किया। केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड द्वारा 15,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसाक ने पूर्ण बजट पेश किया है पर सदन सिर्फ चार माह के लिए लेखानुदान को ही पारित करेगा क्योंकि सरकार का कार्यकाल जल्द ही खत्म हो जाएगा।

Badri Gautam

धान और नारियल के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की

मंत्री ने कहा, वामपंथी सरकार ने सुनिश्चित किया कि महामारी के दौरान कोई भी भूखा न रहे। लोगों में भरोसा बहाल किया गया। उन्होंने कहा कि लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी पेंशन की राशि भी बढ़ाई गई है। वर्तमान में यह राशि 1500 रुपए है। मंत्री ने कहा कि 4,830 किलोमीटर की सड़क की मरम्मत का काम किया जाएगा। किसानों के लिए रबड़ की कीमतों, धान, नारियल के खरीद मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है।

सीएचएसएल 2019 का रिजल्ट जारी किया

नई दिल्ली। एसएससी ने कंबाइंड हायर सेकंडरी एग्जामिनेशन 2019 टियर-1 (सीएचएसएल) का रिजल्ट जारी कर दिया है। सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को टियर-2 परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। टियर-2 परीक्षा का आयोजन 14 फरवरी को होगा।

Badri Gautam

प्री बोर्ड: फाइनल की तैयारी परखने का जरिया

कहीं छमाही परीक्षाएँ हो रही हैं, तो कहीं प्री-बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन जारी... अलग-अलग स्कूलों में प्री-बोर्ड की अलग डेट, जनवरी के थर्ड वीक और फरवरी में हो सकती हैं परीक्षाएँ

सिटी रिपोर्टर• जबलपुर

बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन जारी है। कहीं सिलेबस कम्प्लीट होकर रिवीजन वर्क चल रहा है, तो कहीं सिलबेस अनकम्प्लीट है। इसी बीच एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के विद्यार्थी छमाही परीक्षा में व्यस्त हैं। वहीं सीबीएसई, आईसीएसई के विद्यार्थी भी प्री-बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे नजर आ रहे हैं। आज हमने विद्यार्थियों से उनकी स्टडी के बारे में जाना, तो कुछ ने कहा कि प्री-बोर्ड जनवरी में होना है तो किसी ने फरवरी सेकेंड वीक में होने की जानकारी दी। विद्यार्थियों ने बताया कि प्री-बोर्ड एक फाइनल एग्जाम डेमो ही होता है, जिससे काफी कुछ पता चल जाता है। पैटर्न से लेकर मेंटली भी हम तैयार हो जाते हैं। इसलिए इन दिनों पूरा फोकस स्टडी पर ही हो रहा है। स्टूडेंट्स रोज 6 से 8 घंटे स्टडी करते हैं और ब्रेक लेते हुए ड्रॉइंग, डांस या फिर म्यूजिक सुनकर अपने माइंड को रिलेक्स करना पसंद करते हैं। (आर-1)

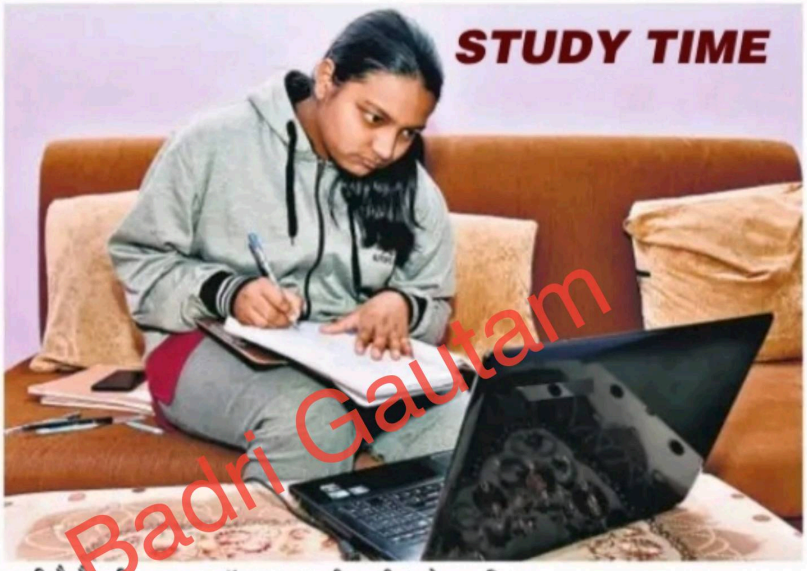

Badri Gautam

जारी है तैयारी : घर पर ऑनलाइन स्टडी करती स्टूडेन्ट कृतिका।

राइटिंग वर्क की प्रैक्टिस भी जरूरी

प्री-बोर्ड स्कूल लेवल पर आयोजित किया जाता है। इसके लिए कुछ स्कूल्स में प्लानिंग की जा रही है तो कुछ ने डिसाइड कर लिया। प्रैक्टिकल एग्जाम भी जरूरी हैं,इसलिए सारी रूप रेखा प्री-बोर्ड और प्रैक्टिकल एग्जाम को देखकर तय की जा रही है। यह कहना है सीबीएसई के सिटी-कोऑर्डिनेटर राजेश चंदेल का। उन्होंने कहा कि स्कूलों में क्रेश कोर्स भी चलाएँ जा रहे हैं,ताकि सिलेबस कम्पलीट कराएँ जा सके। स्कूल में क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट होते थे, जो कि इस बार नहीं हुए। इससे बच्चों की स्टडी में फर्क देखा जा सकता है। ऑनलाइन स्टडी से बच्चों के राइटिंग वर्क में भी असर देखने को मिल रहा है, इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें।

कुछ ऐसी है बच्चों की प्रिपरेशन

- स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस के अलावा भी सेल्फ स्टडी पर फोकस कर रहे हैं।
- 6 से 8 घंटे की पढ़ाई का टारगेट बना रहे हैं।
- प्री-बोर्ड होने से पैटर्न समझ जाएँगे, इसलिए फाइनल एग्जाम की तैयारी हो रही है।
- कुछ स्कूलों में जनवरी के सेकेंड वीक से प्री-बोर्ड स्टार्ट होने हैं, तो कुछ स्कूलों में फरवरी के सेकेंड वीक में। एमपी बोर्ड में अभी छमाही परीक्षाएँ चल रही हैं।
- सिलेबस पूरा होते ही कुछ विद्यार्थी रिवीजन वर्क करते दिख रहे हैं।
- स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आर्ट एण्ड क्राफ्ट का भी सहारा ले रहे हैं।पी-2

सिलेबस कम्प्लीट है, रिवीजन चल रहा

प्री-बोर्ड एग्जाम फरवरी सेकेंड वीक से होंगे। प्री-बोर्ड में हमें पता चलता है कि फाइनल एग्जाम कैसा होगा। किस तरह के पैटर्न से परीक्षाएँ दी जाती हैं। सिलेबस कम्प्लीट हो चुका है अब रिवीजन चल रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि लगभग 9 घंटे पढ़ाई कर सकूँ। इस बीच माइंड रिलेक्स करने के लिए ड्रॉइंग वर्क कर लेती हूँ, स्ट्रेस फ्री रहना जरूरी है।
कनिका कुमारी, कक्षा 10वीं सीबीएसई बोर्ड

बोर्ड एग्जाम पर फोकस

मुझे पढ़ना पसंद है, ज्यादा टाइम स्टडी में बीतता है। मेरा पूरा फोकस अपने बोर्ड एग्जाम पर है। मेरा पीसीएम विषय है। डेली सुबह 3 घंटे ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं, जेईई मेन्स की प्रिपरेशन भी चल रही है। लेट नाइट स्टडी करता हूँ, सुबह जल्दी उठना होता है तो मैं दिन में सो जाता हूँ। फरवरी सेकेंड वीक में प्री-बोर्ड एग्जाम होंगे।
अर्श जैन, कक्षा 12वीं आईसीएसई बोर्ड

छमाही परीक्षा चल रही

बोर्ड परीक्षा है तो थोड़ा अलर्ट रहना होगा। कैसे पढ़ाई करनी है, पैटर्न क्या होगा, अब कोरोना की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन है। फिलहाल अभी छमाही परीक्षाएँ चल रही हैं, प्री-बोर्ड एग्जाम की डेट नहीं आई है। मैं डेली 2 घंटे पढ़ रही हूँ अभी परीक्षा है तो 7 से 8 घंटे की पढ़ाई होती है। घर से ही परीक्षाएँ दे रही हूँ।
कृतिका गुप्ता, कक्षा 10वीं एमपीबोर्ड

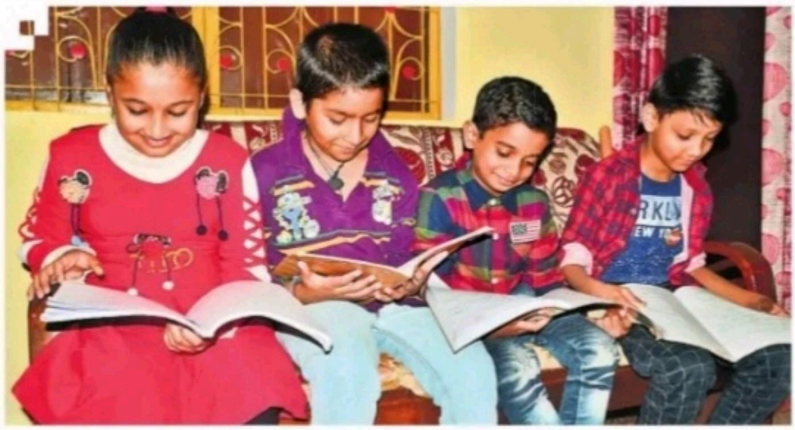

एग्जाम में बच्चों की सफलता के लिए पैरेंट्स कर रहे हार्ड वर्क

Badri Gautam

नोट्स तैयार करने से लेकर परीक्षा में सफलता के बता रहे सूत्र

सिटी रिपोर्टर . सतना

जब से कोविड-19 ने लोगों के जीवन में दखल दिया है तब से लोगों का जीवन अस्त, व्यस्त हो चला है। हर कोई इससे बचाव कर रहा है। स्कूल, कॉलेज अभी बंद हैं और स्टूडेंट्स की शिक्षा ऑनलाइन हो रही है। अब तो छात्रों के एग्जाम भी नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स हर प्रकार से परीक्षा में सफलता के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इनके साथ उनके पैरेंट्स की भी जिम्मेदारियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी हुई हैं और वे भी बच्चों की मेहनत को सफल बनाने के लिए उनकी तैयारियों में हाथ बटा रहे हैं। बच्चों के नोट्स बनाने के साथ परीक्षा में सफलता के लिए हर संभव मदद कर रहे हैं। ऐसे भी शहर के अभिभावक हैं जो बच्चों के एजुकेशन के प्रति इतने सजग हो चुके हैं कि बच्चे को घर में स्कूल जैसा महौल और उनके प्रश्नों के सही उत्तर देने के लिए पैरेंट्स ने भी अपनी पढ़ाई शुरु कर दी है। ताकि बच्चों के पूछे जाने वाले सवाल का वे सही जबाब दे सकें।

घर पर मां की बढ़ी जिम्मेदारी

वैसे तो शास्त्रों में भी लिखा है कि मां बच्चे की पहली गुरु होती है जो हमेशा उसका मार्गदर्शन करती हुई चलती है और उसको सही एवं गलत मार्ग बताती है जिससे बच्चा कहीं भी भटके ना। कु छ ऐसा ही नेतृत्व करने का जिम्मा इस दौर की मां ने करना शुरु कर दिया है। जो आज उनका हर क्षेत्र में साहस ही नहीं बल्कि गाइड भी करती रहती हैं। वहीं जब से कोविड-19 ने लोगों के जीवन में दखल दिया है तब से उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। स्कूल ओपेन न होने की वजह से मां ही बच्चों की घर में टीचर है और वे ही अब सारा होमवर्क करने के साथ बच्चों के नोट्स और परीक्षा की पूरी तैयारी करा रही हैं। उन्हें बच्चों के लिए पहले से कहीं ज्यादा समय देना पड़ रहा है। ऐसे में मां भी कड़ी मेहनत करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती हैं।

तय किया टाइम टेबल

कुछ तो ऐसे पैरेंट्स हैं जो बच्चों की इस प्रकार की तकलीफ को समझते हुए एवं बच्चों के प्रश्नों के सही जबाब देने के लिए घर में हो अकेल समय पर अपने नॉलेज पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों का सही मार्गदर्शन हो सके। कई मम्मी, पाप ने तो खाली टाइम ऐसी बुक्स पढ़ते में लगते हैं जो बच्चों के परीक्षा से संबंधित होती हैं। जो आज नहीं तो कल उनके पढ़ाई में मदद कर सकती हैं। यही नहीं कई अभिभावकों ने तो बच्चों को होनहार बनाने और उनकी नीव को मजबूत करने के लिए खुद का एक टाइम टेबल तैयार कर लिया है कि कब उन्हें बच्चे को पढ़ाना है और कब खुद अपनी पढ़ाई करनी है।

बच्चों को समझाइश देकर बढ़ा रहे आत्मबल

बच्चों के लिए अपना खून-पसीना एक कर देने वाले पैरेंट्स हमेंशा यही चाहते हैं कि उनका बच्चा किसी के सामने शर्मिंदगी न व्यक्त करें। उनका आत्मविश्वास कमजोर न हो इसलिए वे समय-समय पर बच्चों का मनोबल भी बढ़ाते रहते हैं इसके लिए वे कई प्रकार की पुस्तकों का सहारा लेकर कड़ी मेहनत से सफल हुए लोगों के किस्से कहानियां भी सुनाते रहते हैं। इससे बच्चों को आत्मबल बढ़ने के साथ ही उनको नई चीजें भी मिलती हैं।

प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा सहित अन्य को अवमानना नोटिस

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर।

मप्र हाईकोर्ट ने अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शमी, आयुक्त लोकशिक्षण जयश्री कियावत, नरसिंहपुर के जिला शिक्षा अधिकारी अरुण इंगले और एमएलबी स्कूल नरसिंहपुर की प्राचार्य विनीता पांडे को अवमानना नोटिस जारी किया है। एकलपीठ ने अनावेदकों को चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। गाडरवारा निवासी कमल नामदेव की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उसकी माँ स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थीं। सेवा के दौरान उसकी माँ का निधन हो गया, उस समय उसकी आयु 6 वर्ष थी। उसकी ओर से जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्राचार्य को आवेदन दिया गया कि जब उसकी आयु 18 वर्ष हो जाएगी, तब वह अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करेगा। 18 वर्ष होने पर उसने आवेदन किया, लेकिन उसे अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी गई। इस मामले में हाईकोर्ट की शरण ली गई। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेने का आदेश दिया, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा ने तर्क दिया कि अनावेदकों द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया है, जो अवमानना की श्रेणी में आता है। सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया है।

Badri Gautam

कॉलेज खोलने को लेकर 18 को होगी तैयारियों पर चर्चा

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। प्रदेश के कॉलेजों में 20 जनवरी से नियमित कक्षाएं शुरू करने के पहले उच्च शिक्षा विभाग 18 जनवरी को विश्वविद्यालय के कुलपति और कॉलेज प्राचार्यों के साथ तैयारियों की ऑनलाइन समीक्षा करेगा। बैठक में 10 जनवरी से शुरू की गई अंतिम वर्ष की कक्षाओं के संबंध में चर्चा की जाएगी। 20 जनवरी से ऑनलाइन कक्षाओं के साथ तीसरे सेमेस्टर की पढ़ाई कॉलेजों में शुरू होगी, इसलिए विभागीय स्तर पर कैलेंडर पर मंथन किया जाएगा। बीते दिनों उच्च शिक्षा मंत्री के साथ मुख्यमंत्री ने समीक्षा की थी जिसमें 14 बिंदुओं पर ध्यान देने के लिए कहा है। इसके बाद कोर्ट पेंडेंसी, लोकार्पण, शिलान्यास के निर्माण कार्यों की जानकारी, पद और विषयों को मर्ज करने की कवायद, परीक्षा पर चर्चा, छात्रवृत्ति सहित कई अहम विषयों पर मंथन किया जाएगा।

स्वास्थ्य प्रोग्राम के लिए शिक्षकों को देंगे प्रशिक्षण

भोपाल। सरकारी स्कूलों में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसमें बच्चों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्कूल हेल्थ कार्यक्रम के अंतर्गत 18 जनवरी से शिक्षकों को ऑनलाइन चार दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसमें प्रायमरी, मिडिल, हाईस्कूल व हायर सेकंडरी के शिक्षकों को शामिल किया गया है। 18 जनवरी से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। माध्यमिक स्कूलों के 5942, हाईस्कूल के 2204 और हायर सेकंडरी के 1720 शिक्षक प्रशिक्षण में शामिल होंगे। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 500 रुपये इंटरनेट के लिए और 700 रुपये प्रतिदिन के मान से मानदेय भी दिया जाएगा।

Badri Gautam

पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर एडमिशन देंगे आइआइएम

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। देशभर के भारतीय प्रबंध संस्थान (आइआइएम) में प्रवेश लेने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) के परिणाम जारी होने के बाद एक-एक कर आइआइएम अब अन्य प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को ई-मेल कर रहे हैं। देश के शीर्ष आइआइएम अहमदाबाद से विद्यार्थियों को बुलावा आना शुरू हो गया है। कोरोना महामारी के कारण आइआइएम ने कैट के पैटर्न को बदल दिया था और चयन प्रक्रिया में भी बदलाव की बात कही गई थी। बेहतर कैट स्कोर लाने वाले विद्यार्थियों के लिए हर बार ज्यादातर आइआइएम लिखित योग्यता परीक्षा (वॉट), ग्रुप डिस्कशन (जीडी) और पर्सनल इंटरव्यू (पीआइ) लेते रहे हैं और इसके बाद प्रवेश दिया जाता रहा है, लेकिन इस बार देश के कई आइआइएम सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर प्रवेश दे सकते हैं। इससे विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रवेश प्रक्रिया अब पहले के मुकाबले कम समय में पूरी हो जाएगी। हालांकि विद्यार्थियों का चयन करने के लिए आइआइएम अन्य पैरामीटर का भी ध्यान रखता है। इसमें दसवीं, बारहवीं, ग्रेजुएशन और काम के अनुभव को भी ध्यान रखा जाता है। इससे कई बार अच्छे पर्सेंटाइल लाने वालों को भी मनपसंद आइआइएम से कॉल नहीं आते है।

घर बैठे हो जाएगा पर्सनल इंटरव्यू

कोरोना महामारी के कारण आइआइएम इंदौर और अन्य आइआइएम से विद्यार्थियों को अगली प्रक्रिया में शामिल होने का ई-मेल प्राप्त होने के बाद पर्सनल इंटरव्यू देना होगा। इसे ऑनलाइन मोड से आयोजित किया जा सकता है। इसमें विद्यार्थियों को संस्थान द्वारा जारी एक निर्धारित वेबसाइट पर पंजीयन कराना होगा और इसके बाद इंटरव्यू की शुरुआत होगी। परीक्षा विशेषज्ञ आकाश सेठिया का कहना है कि आइआइएम से विद्यार्थियों को ई-मेल आना शुरू हुए हैं। कुछ दिन में ज्यादातर आइआइएम अगली प्रक्रिया के लिए ई-मेल कर देंगे। वैसे तो पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर ही ज्यादातर आइआइएम विद्यार्थियों का चयन कर सकते हैं लेकिन अभी पूरी प्रक्रिया सामने नहीं आई है।

Badri Gautam